दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति

की बैठक में

निगमायुक्त

डॉ. पुनीत कुमार गोयल

आई.ए.एस.

द्वारा

वर्ष 2015–16 के

संशोधित बजट अनुमान

तथा

वर्ष 2016–17 के

बजट अनुमानों

पर

वक्तव्य

✦

बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

स्थायी समिति के सम्मानित अध्यक्ष महोदय तथा आदरणीय सदस्यगण,

सर्वप्रथम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा दिल्ली नगर निगम (बजट अनुमान) विनियम, 1958 के विनियम 4 के अनुपालन में, मैं अध्यक्ष महोदय से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2012 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के गठन के उपरांत यह हमारा चौथा बजट है। हमने पहले की तरह इस बार भी यह प्रयास किया है कि प्रभावशाली ढंग से जनोपयोगी नीतियों का निर्धारण कर जन सेवाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाये। इसके लिए हमें निगम के विधायी पक्ष का सहयोग निरंतर मिलता रहा है तथा मैं अपेक्षा करता हूँ कि यह आगे भी जारी रहेगा।

बजट प्रस्तुत करते समय हम अपना वित्तीय दृष्टिकोण निर्धारित कर आत्मनिरीक्षण के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के साथ–साथ नीति निर्धारित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ निगम के भविष्य के लिए आर्थिक सशक्तीकरण भी किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, हमने निगम की आय के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा नागरिकों व कर्मचारियों की बढ़ती आवश्यकताओं पर व्यय को देखते हुए संतुलित बजट तैयार करने की कोशिश की है। मैं स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने पूरे वर्ष उनकी चर्चाओं तथा सुझावों का निरंतर गहन अध्ययन किया है। हमने उनकी अपेक्षाओं को यथासंभव आज प्रस्तुत किये जा रहे अपने बजट प्रस्तावों में स्थान देने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय,

निगम का बजट स्थायी समिति के समक्ष चार खंडों में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है :–

खण्ड–**I.** संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2015–16 और बजट अनुमान वर्ष 2016–17।

खण्ड–**II.** योजना (प्लान) एवं पुनर्वास कॉलोनियों के वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमान।

खण्ड–**III.** विविध मदों पर वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान जिसमें ऋणों, अग्रिम राशियों, करों की दरों की अनुसूची जैसे विविध आँकड़े दिये गये हैं।

खण्ड–**IV.** वर्ष 2016–17 के लिये अधिकारी तथा कर्मचारी पदों की अनुसूची।

वित्तीय वर्ष 2012–13 से निरंतर तीन वर्षों से हमने पेशेवर बजट विधि अपनाते हुए राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन एवं ऋण प्रबंधन के द्वारा श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन के साधन को चुनने का प्रयास किया है। हमने सभी आय एवं व्यय का आंकलन वास्तविकता के आधार पर किया ताकि बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हमने वर्ष 2012 में यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि पाँच वर्षों में हम निगम को एक ऋण रहित संस्था बना देंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम आप सभी के निर्धारित किये गये मार्ग पर चलते हुए इस कार्य में अभी तक सफल रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम वित्तीय वर्ष 2017–18 तक अपने समस्त ऋणों से मुक्त हो जायेंगे।

सुदृढ़ बजट एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए निगम ने पेशेवर बजटीय विधियां अपनाते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के साधन को चुना जिसके फलस्वरूप निगम को आशानुरूप परिणाम देखने को मिला है। अतः यह प्रबंधन वर्ष 2015–16 में भी जारी है और वर्ष 2016–17 में भी जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं गत वर्ष के आय लक्ष्यों एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के विभिन्न मदों के आय लक्ष्यों की विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा।

आंतरिक राजस्व आय

श्रेणी–अ : आय जो निगम के नियंत्रण में है–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में, हम इस श्रेणी में केवल 1124 करोड़ रुपये संग्रह कर पाये जोकि बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य 1639 करोड़ रुपये से करीब 500 करोड़ रुपये कम है जिसका मुख्य कारण फार्महाउस का नियमितीकरण न होना है। अतएव, इस मद में एकमुश्त 300 करोड़ रुपये की आय में कमी आयी। ज्ञात हो गत वर्ष हमने इस श्रेणी में 1353 करोड़ रुपये की राजस्व आय प्राप्त की थी, जिसमें फार्महाउस नियमितीकरण से 357 करोड़ रुपये की आय हुई थी। अतएव, हमने दूसरे स्रोतों से करीब 1000 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी, जो इस वर्ष बढ़कर 1124 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी करीब 11 प्रतिशत की है।

आगामी वर्ष 2016–17 में इस श्रेणी में 1504 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जोकि इस वर्ष से करीब 33 प्रतिशत ज्यादा है।

बजट अनुमान तालिका–1 में दर्शाया गया है।

तालिका–1

(रु. करोड़ में)

श्रेणी–अ : निगम द्वारा नियंत्रित आय

क्र.	मद	2014–15 बजट	वास्तविक आय	संशोधित	2016–17	वर्ष 2015–16 वर्ष		सं.		2012–13 अनुमान	2013–14 बजट
			बजट		स्वीकृत)	(प्रस्तावित)	(प्रस्तावित)	(निगम द्वारा	अनुमान	अनुमान	
1.	सम्पत्ति–कर	607.93	524.72	544.64	650.00	650.00	865.00				
2.	विज्ञापन पर कर	47.71	55.04	51.04	100.00	45.00	75.00				
3.	भवन आवेदन	0.32	2.43	2.15	2.50	2.50	2.50	पर कर			
4.	कार पार्किंग	6.43	25.41	16.03	100.00	50.00	100.00				

5.	भवन उपनियमों	6.14	14.99	17.21	18.50	15.00	17.00	के पर लगे जुर्माने
6.	एस्क्रो अकाउन्ट–	240.63	164.00	180.88	280.00	200.00	250.00	कन्वर्जन
7.	फैक्ट्री लाइसेंस व्यापार लाइसेंस + खाद्य व्यापार लाइसेंस + तहबाजारी	3.32	3.93	3.92	12.60	7.41	12.15	शुल्क + सामान्य
8.	फार्म हाउसों का (V-115-0218)	0.00	2.52	357.68	300.00	0.00	0.00	नियमितीकरण
9.	विविध आय	102.73	108.99	180.18	175.96	154.25	182.71	
	कुल आय	**1015.21**	**902.60**	**1353.73**	**1639.56**	**1124.16**	**1504.36**	

चार्ट–1

श्रेणी–ब : निगम के नियंत्रण से बाहर की आय

'श्रेणी–ब' में हमने राजस्व की उन मदों को डाला है जिनके संग्रहण एवं अमल पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। वर्तमान राजस्व संग्रहण को देखते हुए स्थानांतरण शुल्क, टोल टैक्स, सड़क रेस्टोरेशन शुल्क को संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2015–16 तथा बजट अनुमान वर्ष 2016–17 को पुनः मूल्यांकित किया गया है जिसका विवरण तालिका–2 में उपलब्ध है।

तालिका–2

(रु. करोड़ में)

श्रेणी–ब : निगम द्वारा नियंत्रित आय

क्र.	**मद**	**2014–15 बजट**	**वास्तविक आय**	**संशोधित**	**2016–17**	**वर्ष 2015–16 वर्ष**		**सं.**		**2012–13**	**2013–14**
			बजट		**स्वीकृत)**	**(प्रस्तावित)**	**(प्रस्तावित)**	**(निगम द्वारा**	**अनुमान**	**अनुमान**	**बजट**
1.	स्थानांतरण शुल्क	568.87	518.03	624.04	580.00	580.00	600.00				
2.	बिजली कर	214.40	283.12	303.06	300.00	300.00	330.00				
3.	टोल टैक्स	97.91	172.47	74.69	200.00	210.83	210.83				
4.	एकमुश्त पार्किंग	40.96	44.46	43.39	45.00	50.00	60.00			चार्ज	
5.	रोड रेस्टोरेशन	27.49	29.12	60.37	45.00	45.00	50.00			चार्ज	
	कुल आय	**949.63**	**1047.20**	**1105.55**	**1170.00**	**1185.83**	**1250.83**				

चार्ट–2

मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस श्रेणी में हम वित्तीय वर्ष 2015–16 के निर्धारित लक्ष्य 1170 करोड़ रुपये को प्राप्त कर लेंगे। इस मद में करीब 1185 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

कुल आंतरिक आय

कुल आंतरिक आय तालिका–3 में दर्शायी गयी है।

तालिका–3

(रु. करोड़ में)

कुल आन्तरिक राजस्व आय

क्र.	मद	2014–15 बजट	वास्तविक आय	संशोधित	2016–17	वर्ष 2015–16 वर्ष		सं.		2012–13 अनुमान	2013–14 बजट
					स्वीकृत)	(प्रस्तावित)	(प्रस्तावित)	(निगम द्वारा	अनुमान	अनुमान	
1	श्रेणी–अ	1015.21	902.60	1353.73	1639.56	1124.16	1504.36				
2	श्रेणी–ब	949.63	1047.20	1105.56	1170.00	1185.83	1250.83				
	कुल आय	**1964.84**	**1949.80**	**2459.29**	**2809.56**	**2309.99**	**2755.19**				

चार्ट–3

वर्ष 2015–16 में कुल आंतरिक आय में वर्ष 2014–15 की तुलना में करीब 500 करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान है जो कि श्रेणी–अ में आय की कमी के कारण है। आगामी वर्ष 2016–17 में 2755 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जोकि इस वर्ष की तुलना में करीब 20 प्रतिशत ज्यादा है।

बाह्य राजस्व आय

वर्तमान वर्ष 2015–16 में दिल्ली सरकार द्वारा सभी मदों में कम राशि का प्रावधान किया गया है। अतः हमने इस वर्ष के अनुमान को संशोधित कर दिया है।

वर्ष 2015–16 के संशोधित एवं वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में बाह्य राजस्व को लगभग 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया है जिसे तालिका–4 में दर्शाया गया है।

तालिका–4

(रु. करोड़ में)

कुल बाह्य राजस्व आय

क्र.	मद	2014–15 बजट	वास्तविक आय	संशोधित	2016–17	वर्ष 2015–16 वर्ष		सं.		2012–13 अनुमान	2013–14 बजट
					स्वीकृत)	(प्रस्तावित)	(प्रस्तावित)	(निगम द्वारा	अनुमान	अनुमान	
1	शिक्षा के लिये	313.94	345.66	353.46	500.00	392.18	431.39			अनुदान	
2	ग्लोबल शेयर	359.35	346.70	388.29	500.00	427.11	469.82			ऑफ टैक्सेज	
3	म्युनिसिपल	60.00	0.00	0.00	68.16	150.00	160.00			रिफॉर्म्स फण्ड	
4	निगम विद्यालय	12.89	14.26	15.97	35.00	17.57	19.33			भवन हेतु अनुदान	
5	निगम सम्पत्ति	14.55	16.11	18.04	26.00	19.84	21.83			हेतु अनुदान	
	कुल आय	**760.73**	**722.73**	**775.76**	**1129.16**	**1006.70**	**1102.37**				

चार्ट–4

तालिका–4 से यह उद्धृत होता है कि इस मद में भी वर्ष 2015–16 में लगभग 120 करोड़ रुपये की कमी आयेगी। म्युनिसिपल रिफॉर्म्स फण्ड में करीब 150 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।

यदि गत वर्षों की तरह दिल्ली सरकार म्युनिसिपल रिफॉर्म्स फण्ड जारी नहीं करती है तो इस मद में करीब 270 करोड़ रुपये की कमी आयेगी जिसका असर आगामी वर्ष की वित्तीय देनदारी पर पड़ेगा।

कुल आय

उपरोक्त सभी स्रोत से प्राप्त आय की गणना करने के बाद कुल आय को तालिका–5 में दर्शाया गया है।

तालिका–5

(रु. करोड़ में)

कुल राजस्व आय

क्र.	मद	2014–15 बजट	वास्तविक आय		वर्ष 2015–16 वर्ष		सं.		2012–13	2013–14
			बजट	संशोधित	2016–17				अनुमान	बजट
					स्वीकृत)	(प्रस्तावित)	(प्रस्तावित)	(निगम द्वारा अनुमान	अनुमान	
1	आन्तरिक राजस्व	1964.84	1949.80	2459.29	2809.56	2309.98	2755.19		आय	
2	बाह्य राजस्व	760.73	722.73	775.76	1129.16	1006.70	1102.37		आय	
3	**कुल**	**2725.57**	**2672.53**	**3235.05**	**3938.72**	**3316.68**	**3857.56**			
4	लोन	61.00								
	कुल आय	**2786.57**	**2672.53**	**3235.05**	**3938.72**	**3316.68**	**3857.56**			

चार्ट–5

यद्यपि इस वर्ष हमने अपने राजस्व लक्ष्य 3938 करोड़ रुपये से करीब 600 करोड़ रुपये कम प्राप्त किये हैं, तथापि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कुल राजस्व प्राप्ति से लगभग 100 करोड़ रुपये (3235 करोड़ रुपये की तुलना में 3316 करोड़ रुपये) ज्यादा है।

हमारा यह मानना है कि हमें आय का वास्तविक आंकलन करना चाहिए। यदि हम आय का ओवरएस्टीमेट/इंफलेटेड आंकलन करते हैं और उसके अनुसार व्यय को बढ़ा देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव आगामी वर्ष के बजट पर पड़ता है जोकि इस वर्ष देखने को मिल रहा है। आय में आयी 600 करोड़ रुपये की कमी का सीधा असर बजट संतुलन पर पड़ा है जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगा।

व्यय प्रबंधन

अध्यक्ष महोदय, व्यय की मुख्यतः चार श्रेणियाँ हैं – वेतन एवं पेंशन संबंधित व्यय, रखरखाव एवं परिचालन से संबंधित व्यय, गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाभ योजनाओं पर व्यय एवं बुनियादी विकास पर व्यय। हमें अनिवार्य सेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये कर्मचारी मुख्यतः स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के अनिवार्य कार्य जैसे भवनों का विनियमन, व्यापार विनियमन, फैक्ट्री लाइसेंस एवं राजस्व संग्रहण के लिए हमें पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती

है। इसके लिए हमने संस्थापना सूची (Establishment Schedule) को वर्ष 2016–17 के प्रस्तावों में संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया है।

परिचालन व्यय (Operational Cost) को कम करने के लिए निगम ने कई सुधारात्मक विधियाँ जिनमें ई–गवर्नेंस प्रमुख है, के द्वारा व्यय को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ई–गवर्नेंस की तर्ज पर कई सेवाओं की शुरुआत की तथा उन्हें अमल में लाया गया। इस वर्ष ट्रेड लाइसेंस को ई–गवर्नेंस के अंतर्गत लाया गया जिससे परिचालन व्यय (Operational Cost) में कमी आयेगी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

महोदय, जैसा कि पूर्व बजट में घोषणा की गयी थी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपना 'पे एण्ड अकाउंट कार्यालय' मुख्यालय के सभी जोनों में स्थापित करेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि निगम मुख्यालय में केन्द्रीयकृत 'पे एण्ड अकाउंट कार्यालय' स्थापित हो गया है और यह कार्य कर रहा है। इस वर्ष सभी जोनों में इसको स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय बाधाओं के बावजूद आवश्यक सेवाओं हेतु जरूरी व्यय को हम नजरंदाज नहीं कर सकते। इसमें विभिन्न संबंधित मदों के लिए हमने पर्याप्त बजटीय प्रावधान किये गये हैं ताकि विकास कार्य में बाधा न आये।

वर्तमान वर्ष 2015–16 का संशोधित व्यय अनुमान एवं वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित बजट अनुमान तालिका–6 में दर्शाया गया है।

तालिका–6

(रु. करोड़ में)

व्यय

क्र.	मद	2014–15 बजट	बजट	वास्तविक आय संशोधित	2016–17 स्वीकृत)	वर्ष 2015–16 वर्ष (प्रस्तावित)	(प्रस्तावित)	सं. (निगम द्वारा	अनुमान	2012–13 अनुमान अनुमान	2013–14 बजट
1.	सामान्य प्रशासन	250.92	406.59	426.17	602.67	573.24	582.26				
2.	लाइसेंसिंग	1.28	1.44	1.35	3.05	2.17	2.53				
3.	समुदाय सेवा	86.69	110.31	56.71	145.34	59.55	28.43				विभाग
4.	शिक्षा	396.12	470.26	526.23	700.40	734.14	857.26				
5.	जन स्वास्थ्य	94.21	130.66	147.98	224.18	183.31	220.05				
6.	सफाई	319.02	419.52	515.51	684.77	827.49	871.97				
7.	अभियांत्रिकी	371.84	349.20	455.32	720.50	700.75	750.34				
8.	पशु चिकित्सा	6.26	8.57	17.91	41.37	30.58	41.87				
9.	उद्यान	102.23	108.38	139.13	188.70	183.98	210.44				
10.	भूमि एवं सम्पदा	5.05	1.98	5.50	30.71	19.01	24.75				
11.	विशिष्ट विकास	197.41	147.38	176.30	319.02	318.79	318.90				व्यय
12.	लोन	367.84	319.09	169.34	206.14	147.59	147.77				
	कुल आय	**2198.87**	**2473.38**	**2637.45**	**3866.85**	**3780.60**	**4056.57**				

चार्ट–6

इस वर्ष 3780 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 1000 करोड़ रुपये ज्यादा है, जिसका मुख्य कारण नये शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की अनुबंधित नियुक्ति, एम.एसी.पी. योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देना, विकास एवं प्रगति के कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट इत्यादि है।

आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय को 4056 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जिसमें सातवें वेतन आयोग के कारण आने वाले खर्च को भी आंशिक रूप में शामिल किया गया है।

<u>आय एवं व्यय का लेखा–जोखा</u>

वर्ष 2012–13 से अब तक के आय एवं व्यय का लेखा–जोखा नीचे चार्ट–7 में दर्शाया गया है।

चार्ट–7

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015–16 और वर्ष 2016–17 में पहली बार निगम घाटे का बजट पेश कर रहा है। हमारा व्यय आय की तुलना में काफी ज्यादा है। अतएव, यह अति आवश्यक हो गया है कि हम अपनी आय के स्रोतों को बढ़ायें और व्यय के स्रोत को कम करें, जिसके कारण इस वर्ष हमने वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान को कम किया है और आगामी वर्ष से इसे न देने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए शून्य बजट का प्रावधान किया गया है। मेरा यह मानना है कि इस तरह के अन्य मदों की भी पहचान की जाये और उन मदों में खर्च पर नियंत्रण किया जाये।

(रु. करोड़ में)

बजट संतुलन

	वास्तविक बजट 2016–17 द्वारा)	बजट अनुमान द्वारा) प्रस्तावित)	संशोधित (आयुक्त	बजट 2014–15 (निगम द्वारा	आय 2015–16 2015–16	अनुमान अनुमान (आयुक्त

आरम्भिक शेष	2.56	1.24	305.36	199.44	
एकीकृत निगम से मिला	63.19	–	–	–	द.दि.न.नि. का हिस्सा
पूर्व की सरप्लस एवं रिजर्व राशि	–	–	358.00	–	
आय	3235.06	3938.72	3316.69	3857.56	
व्यय	2637.45	3866.86	3780.61	4056.56	
सरप्लस एवं रिजर्व में जुड़ी राशि	358.00	–	–	–	
अंतिम शेष	**305.36**	**73.10**	**199.44**	**0.44**	

जैसाकि मैं इस समिति के संज्ञान में ला चुका हूँ कि गत वर्ष के बजट में हमने आय को ओवरइस्टीमेट किया था और उसके अनुसार व्यय लगभग 1000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया था, इसका असर इस वर्ष बजट संतुलन पर पड़ा है। इस वर्ष हमने पिछले वर्ष 2014–15 में जेनेरेटेड सरप्लस फण्ड 358 करोड़ रुपये का उपयोग अपने बजट को संतुलित करने के लिए किया है जो कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमने वर्ष 2016–17 में राजस्व को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शुल्क, प्रोफेशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा सम्पत्ति कर की दर में मामूली तर्कसंगत परिवर्तन एवं निगम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को लागू करने का भी प्रस्ताव किया है जिससे करीब 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इन सबके बावजूद भी वर्ष 2016–17 में बजट करीब 200 करोड़ रुपये के घाटे का बन पाया है।

व्यय के घटक

अध्यक्ष महोदय, चार्ट–6 के माध्यम से हम आय का किस प्रकार व्यय करेंगे, यह दर्शाया है। मुख्यतः हम शिक्षा पर (21 प्रतिशत), सफाई पर (21 प्रतिशत), अभियांत्रिकी पर (19 प्रतिशत), स्वास्थ्य पर
(5 प्रतिशत), उद्यान पर (5 प्रतिशत), एकीकृत विकास पर (8 प्रतिशत) की राशि खर्च करेंगे।

चार्ट–8

ऋण प्रबंधन

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि निगम ने यह लक्ष्य रखा था कि आगामी 5 वर्षों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एक ऋण रहित संस्था बन जायेगी, हम उस पथ पर अग्रसर हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी कोई वेज एण्ड मीन्स लोन नहीं लिया गया है एवं योजनागत बजट में भी ऋण की मांग नहीं की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निगम के कुछ महत्त्वपूर्ण विभागों की उपलब्धियों एवं उनकी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना चाहूँगा :–

सम्पत्ति–कर

अध्यक्ष महोदय, सम्पत्ति–कर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की राजस्व प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। सम्पत्ति–कर में राजस्व प्राप्ति के हमारे दो प्रमुख स्रोत हैं– पहला, भूमि एवं भवन से प्राप्त सम्पत्ति–कर तथा दूसरा, सम्पत्ति अंतरण शुल्क (Transfer Duty)। वित्तीय वर्ष 2014–15 में हमने अपने सम्पत्ति–कर के निर्धारित लक्ष्य 600 करोड़ रुपये की तुलना में 545 करोड़ रुपये की आय सम्पत्ति–कर से प्राप्त की, वहीं सम्पत्ति अंतरण शुल्क (Transfer Duty) से निगम को 580 करोड़ रुपये की तुलना में 602.16 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। संयुक्त रूप से दोनों स्रोतों से 1180 करोड़ रुपये की तुलना में कुल प्राप्ति 1147.16 करोड़ रुपये रही थी।

वर्ष 2015–16 में 20 प्रतिशत की तुलनात्मक वृद्धि

- 31–10–2015 तक गत वर्ष 2014–15 में प्राप्त 421 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में 510 करोड़ रुपये का सम्पत्ति–कर एकत्र हुआ है, यह 20 प्रतिशत की तुलनात्मक वृद्धि है। वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 में अगस्त 2015 तक ट्रांसफर ड्यूटी से 580 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 301 करोड़ रुपये की आय अर्जित हुई, जो गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की 382 करोड़ रुपये की तुलना में 25 प्रतिशत कम है।

सम्पत्ति करदाताओं की संख्या में 8 प्रतिशत वृद्धि

- 22–11–2015 तक गत वर्ष 2014–15 के 3,48,494 करदाताओं की तुलना में हमने वर्ष 2015–16 में 3,76,540 करदाताओं से सम्पत्ति–कर वसूल किया है। यह 8 प्रतिशत की तुलनात्मक वृद्धि है।

वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य

- वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रगति को देखते हुऐ हम यह अपेक्षा करते हैं कि हम सम्पत्ति–कर का निर्धारित लक्ष्य 650 करोड़ रुपये प्राप्त कर लेंगे।

- रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी के कारण सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली ट्रांसफर ड्यूटी में कमी आयी है परंतु मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि आगामी वित्तीयवर्ष 2016–17 में स्थिति में सुधार होगा। अतः इसी सोच के साथ मैं **ट्रांसफर ड्यूटी का लक्ष्य 600 करोड़ रुपये वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित करता हूँ।**

महोदय, मैं सम्पत्ति–कर व्यवस्था को राजस्व प्राप्ति के प्रमुख माध्यम के रूप में देखता हूँ। इसी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये मैं सम्पत्ति–कर की दरों में कुछ संशोधन प्रस्तावित करता हूँ :–

कर दरों में संशोधन

- ए एवम् बी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति–कर सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के **12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत** कर दिया जाये।

- सी, डी एवम् ई श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पति–कर सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के **11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत** कर दिया जाये।

- विशेष गैर–आवासीय सम्पत्तियों क्रमशः **ज्वैलरी शॉप, गेस्ट हाउस, सराय, लॉज, बार अथवा वातानुकूलित के बिना रेस्तरां, शराब की दुकान व बार** (श्रेणी ए से एच) पर सम्पत्ति–कर सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के **15 प्रतिशत के दायरे से निकाल कर 20 प्रतिशत** के दायरे वालीविशेष गैर–आवासीय सम्पत्तियों **में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है तथा कोचिंग सेन्टर में 50 विद्यार्थियों से अधिक की सीमा को भी हटाना प्रस्तावित है।**

- बाकि सभी गैर–आवासीय सम्पत्तियां (जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं) व औद्योगिक सम्पत्तियां तथा 150 वर्गमीटर से नीचे आच्छादित क्षेत्र में बने डॉक्टर क्लीनिक जो वर्तमान वित्त वर्ष में क्रमशः 15 प्रतिशत (श्रेणी ए व बी), 12 प्रतिशत (श्रेणी सी, डी व ई) तथा 10 प्रतिशत (श्रेणी एफ, जी व एच) में हैं, सभी श्रेणियों में **सम्पत्ति–कर सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।**

<u>छूट व रियायतें</u>

- **धारा 123 बी (3) के अंतर्गत छूट के** समय पर अर्थात् 30 जून तक वित्तीय वर्ष का एकमुश्त सम्पत्ति–कर अदा करने पर मिलने वाली **15 प्रतिशत की छूट को घटाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।**

- धारा 114 बी के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति/महिलाओं को 200 वर्गमीटर तक के आच्छादित क्षेत्र तक एक **सम्पत्ति पर 30 प्रतिशत की छूट को घटाकर 20 प्रतिशत तथा आच्छादित क्षेत्र की सीमा को 200 वर्गमीटर से घटाकर 100 वर्गमीटर** करना प्रस्तावित है।

- धारा–115 (1) (ii) के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में, भवनों एवम् जमीन के वास्तविक स्वामी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा स्वयं रिहायश के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वह सम्पत्ति–कर से मुक्त है। मेरा प्रस्ताव है इस छूट को डी.एम.सी. एक्ट की धारा–115 (1) (ii) के अनुसार **100 वर्गमीटर तक ही सीमित** कर दिया जाये।

- 100 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र वाले डी.डी.ए/सी.जी.एच.एस. के लिए वार्षिक मूल्य पर **10 प्रतिशत की छूट समाप्त कर दी जाये।**

- को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (सी.जी.एच.एस.) में सम्पत्तियों के मामले में एकमुश्त भुगतान पर देय कर पर **20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट को घटाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।**

- ऐसी विरासत भूमि और भवन जिन्हें निगम द्वारा विशिष्ट रूप से कर–मुक्ति के लिये अधिसूचित किया गया हो या वे परिसर जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो को सम्पत्ति–कर से छूट दी गई है। यह प्रस्तावित है कि **विरासत की भूमि या भवन या उनका हिस्सा किसी वाणिज्यिक उपयोग में है तो उस हिस्से को या छूट न मिलें।**

इन प्रस्तावों का विस्तृत वर्णन करों की सूची में दिया गया है।

हम अगले वित्त वर्ष में भी नये सम्पत्ति करदाताओं को कर के दायरे में लाने का अभियान जारी रखेंगे। इन सबसे हमें उम्मीद है कि सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि होगी।

निगम मूल्यांकन कमेटी–III की रिपोर्ट

- निगम मूल्यांकन कमेटी–III की रिपोर्ट विचाराधीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संदर्भ में निगम द्वारा निर्णय लेकर इसे सरकार को लागू करने के लिए भेजा जायेगा।
- इस रिपोर्ट के लागू होने से निगम को 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। **यदि यह रिपोर्ट लागू होती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में निगम का सम्पत्ति–कर राजस्व 865 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।** हमने इस अतिरिक्त आय को ध्यान में रखकर बजट का निर्धारण किया है। अगर यह रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो निगम निर्धारित लक्ष्य से वंचित रह जायेगा।

वर्ष 2007 में प्रथम संशोधन अपेक्षित था परंतु आज तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। चूँकि बेस यूनिट एरिया वैल्यू मूल्यों को निगम प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित करने के लिए बाध्य है, अतः मैं सीमित आधार पर बदलाव शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स के आधार पर प्रस्तावित करता हूँ। बेस 2012 में यह इंडेक्स 100 था व अक्तूबर, 2015 में उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स 125.01 है।

उपरोक्त को देखते हुए मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि यदि निगम मूल्यांकन समिति (म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी–III) की रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिलती है, तो सभी श्रेणियों में (ए टू एच) वित्तीय वर्ष 2016–17 से बेस यूनिट एरिया वैल्यू में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाये।

सम्पत्ति–कर डिफॉल्टर्स की पहचान

- मेरा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाते हुए व्यवस्था का सशक्तीकरण किया जाये। विभाग जी.एस.डी.एल. के साथ मिलकर सम्पत्ति–कर डिफॉल्टर्स की पहचान कर रहा है। जी.एस.डी.एल. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सम्पत्तियों का विवरण पी. टी.आर. से लिंक करके, सम्पत्ति–कर नहीं देने वालों की पहचान की गयी है। यह कार्यवाही द्वारका एवं हौजखास में सफल रही है और अब हम इसे राजौरी गार्डन एवं एंड्रयूजगंज में प्रारम्भ करेंगे। इसके उपरांत इस प्रक्रिया को शेष वार्डों में भी लागू किया जायेगा।
- विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध सूचनाएं सही सम्पत्ति–कर देनदारी के आकलन में सहयोगी हैं। इस दिशा में **बिजली कनेक्शन, प्रोपर्टी कन्वर्जन, कम्पलीशन सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की सूचना एकत्रित करके उल्लंघनकर्त्ताओं की पहचान की जा रही है** तथा उन सभी को कर के दायरे में लाया जा रहा है। निगम ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी बड़े सम्पत्ति–कर डिफॉल्टर्स की सूचना एकत्रित कर, एक विशेष अभियान के द्वारा सम्पत्ति–कर वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। कर न देने पर उनके बैंक खातों को अटैच किया गया है। इस वर्ष हमने 100 से अधिक फार्महाउसों, स्पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी

इत्यादि के बैंक खाते अटैच करके 40 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त की है। हमारे इन प्रयासों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अच्छे सम्पत्ति–कर की प्राप्ति हुई है और आगामी वर्ष में भी सम्पत्ति–कर में वृद्धि के लिए इन प्रयासों को जारी रखेंगे।

नये करदाताओं को यूनीक प्रोपर्टी आई.डी.

- मौजूदा प्रोपर्टी टैक्स साफ़्टवेयर से करदाता एक ही सम्पत्ति की अनेक आई.डी. बना सकते हैं। करदाता अक्सर अपनी आई.डी. संख्या भूल जाते हैं और अगले वर्ष कर भुगतान के समय नई आई.डी. बना लेते हैं। डुप्लीकेट आई.डी. बनने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे इन सम्पत्तियों का सही विवरण रख पाने में कठिनाई हो रही है। विभाग का सभी को बेहतर सुविधाएं देने का निरंतर प्रयास रहता है। इसी प्रयास के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्तमान सभी 3.76 लाख करदाताओं को यूनीक प्रोपर्टी आई.डी. तथा लैमिनेटेड कार्ड देने का निर्णय लिया है। इससे सम्पत्ति करदाताओं को पी.टी.आर. दाखिल करने में आसानी होगी। डुप्लीकेट आई.डी. न बन सके इसके लिए सम्पत्ति–कर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किये गये हैं। इसके उपरांत नया यूनीक प्रोपर्टी आई.डी. केवल नये करदाताओं को ही प्राप्त हो पायेगा।

करदाताओं हेतु बेहतर सुविधाएं

- ककरौला मोड़ स्थित सम्पत्ति–कर कार्यालय को नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय भवन नज़फगढ़ में स्थानांतरित किया जा रहा है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं यह भी प्रस्तावित करता हूँ कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति–कर कार्यालयों में करदाताओं की सुविधा के लिए कई हेल्प डेस्क व ऑनलाइन विवरण के लिए क्योस्क, पेयजल व शौचालयों की बेहतर व्यवस्था कर दी जायेगी।

ई–पासबुक तथा ऑनलाइन डिमांड एवं कलेक्शन

- मेरा यह मानना है कि पारदर्शिता एवं ई–गवर्नेंस के माध्यम से हम कर व्यवस्था को सुदृढ़ कर करदाताओं में विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। मैं वित्तीय वर्ष में ई–पासबुक एवं ऑनलाइन डिमांड एवं कलेक्शन की व्यवस्था को प्रस्तावित करता हूँ, जिसके द्वारा प्रोपर्टी डिमांड को ऑनलाइन माध्यमों से सूचित किया जा सकेगा तथा ऑनलाइन प्राप्तियों एवं देनदारियों का विवरण करदाता के लिए उपलब्ध होगा।

नया सम्पत्ति कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

- वर्तमान में ऑनलाइन कर भुगतान करने के लिए केवल सम्पत्ति–कर विवरणी ही दाखिल करने की सुविधा है। करदाताओं को पिछला बकाया सम्पत्ति–कर तथा ब्याज आदि, विवरणी दाखिल करते समय पता नहीं चलता है और बकाया राशि जमा करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। व्यवस्था का और सरलीकरण करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि सम्पत्ति–कर विवरणी दाखिल करने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जायेगा और नया सम्पत्ति–कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जायेगा जिससे विवरणी दाखिल करते समय बकाया व ब्याज की गणना स्वतः हो जायेगी, जिससे करदाताओं को कर भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं आयेगी तथा करदाता अपनी सम्पत्ति का समस्त विवरण केवल एक क्लिक द्वारा घर बैठे ही जान सकता है।

एकमुश्त आम माफी योजना

- अनधिकृत कॉलोनी एवं अनधिकृत नियमित कॉलोनी में एकमुश्त आम माफी योजना को मैं प्रस्तावित करता हूँ। यदि इन श्रेणियों के करदाता अपने रिहायशी भवनों पर यूनिट एरिया मेथड के अंतर्गत सभी तरह के सम्पत्ति–कर का भुगतान वर्ष 2004–05 से 2015–16 तक कर देंगे, तब दिनांक 1–4–2004 से दिनांक 31–12–2015 तक सभी तरह के ब्याज एवं जुर्माने और दिनांक 31–3–2004 से पहले की बकाया राशि की छूट भी प्राप्त कर सकेंगे।

जी.एस.डी.एल. डॉटा से डोर टू डोर सर्वे

- विभाग में कर्मचारियों की कमी है, अतः मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से जी.एस.डी.एल. द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा से डोर टू डोर सर्वे कराकर सम्पत्ति–कर नहीं जमा करने वाले करदाताओं को पहचानने की प्रक्रिया की जायेगी और उनकी देनदारियों का भी आंकलन किया जायेगा।
- मेरा यह लक्ष्य है कि सम्पत्ति–कर विभाग **निगम के विकास में प्रगतिशील कर नीति, कुशल एवं प्रभावी कर प्रशासन तथा अधिकाधिक स्वैच्छिक अनुपालन के द्वारा सहयोग करे।** यह बेहतर कर आंकलन एवं समाहरण प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। हमारा यह भी प्रयास होना चाहिए कि करदाताओं का हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था में विश्वास बढ़े।

लाभकारी परियोजना विभाग

अध्यक्ष महोदय, अब मैं लाभकारी परियोजना विभाग के विषय में चर्चा करूंगा–

- विभाग में जो पुरानी निविदा प्रक्रिया थी, उसमें सिर्फ पंजीकृत ठेकेदार ही भाग ले सकते थे। उस प्रक्रिया में उनका आधिपत्य रहता था। निविदा के समय सभी पंजीकृत ठेकेदार एकत्रित होकर टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लेते थे। टेंडर बॉक्स सिर्फ मुख्यालय में ही रखा जाता था।

- इस स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा निविदा की प्रक्रिया को बदला गया तथा खुली निविदा प्रक्रिया शुरू की गयी। निगम मुख्यालय के अलावा सभी जोनों में भी टेंडर बॉक्स रखे गये। इसके उपरान्त खुली निविदा के द्वारा 71 पार्किंग साइट्स का विज्ञापन दिया गया। परिणामस्वरूप सभी पार्किंग स्थलों की निविदा प्राप्त हुईं तथा अच्छे राजस्व के साथ पार्किंग साइट्स का आवंटन भी किया गया। भविष्य में भी हम खुली निविदा प्रक्रिया के द्वारा पार्किंग साइट का आवंटन करते रहेंगे।

- निगम के अंतर्गत वर्तमान में 78 पार्किंग क्षेत्र हैं। इनमें से 74 पार्किंग क्षेत्रों को विभिन्न ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। केवल चार पार्किंग क्षेत्रों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिया गया स्टे अब हटा लिया गया है, उन साइट्स का भी अब टेंडर कर दिया जायेगा। 74 पार्किंग क्षेत्रों द्वारा विभाग को लगभग चार करोड़ रुपये प्रतिमाह का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

- दयाल सिंह कॉलेज के निकट कुशक नाला व सुनहरी नाले पर निगम पार्किंग स्थल को निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट विभाग को 2011 से 9 साल के लिए लीज पर दिया गया है, जिससे निगम को इस साल लगभग 12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

- अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा निगम ने इस वर्ष 42 नई पार्किंग को भी चिन्हित किया है, जिसके नक्शे तैयार कर लिये गये हैं। यातायात पुलिस के साथ मिलकर नये पार्किंग स्थलों के लिए अनापत्तिप्रमाण–पत्र मांगे गये हैं। यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिलते ही नये पार्किंग स्थलों का टेंडर जल्द कर दिया जायेगा, जिससे निगम को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है।

- पिछले वर्ष सदन की अनुमति मिलने के पश्चात् पार्किंग दरें तर्कसंगत कर दी गयी थीं। नई दरें 01 नवम्बर 2014 से लागू की गयी थीं। पार्किंग ठेकेदारों ने निगम को पैसा देना बंद कर दिया था। जिन ठेकेदारों पर बकाया था उनको निगम के पैनल से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इन पार्किंग ठेकेदारों से बकाया वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं तथा उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही भी शुरू कर दी गयी है।

- महोदय, निगम को एकमुश्त पार्किंग शुल्क, ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा प्राप्त हो रहा है। इस मद से विभाग को लगभग 50 करोड़ रुपये हर वर्ष प्राप्त होते हैं।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग को उपरोक्त सभी मदों से लगभग 100 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है।

विज्ञापन विभाग

अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन विभाग का निगम की राजस्व वसूली में महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 100 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित बजट अनुमान में 45 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्यतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विज्ञापनदाताओं द्वारा विज्ञापन शुल्क न देने के कारण तथा विभाग के द्वारा वॉलरैप्स की अनुमति न देने (पॉलिसी में बदलाव) के कारण है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभाग ने लगभग 53 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति की थी, जिसमें कि वॉलरैप विज्ञापन से लगभग 13 करोड़ रुपये की आय हुई थी। वॉलरैप से प्राप्त राजस्व को अगर छोड़ दिया जाये तो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 40 करोड़ रुपये राजस्व विज्ञापन विभाग ने प्राप्त किया था। अतः संशोधित बजट अनुमान 2015–16 में प्रस्तावित 45 करोड़ रुपये पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। 30 नवम्बर तक विभाग ने 30 करोड़ रुपये की राजस्व आय को प्राप्त कर लिया है तथा संशोधित बजट अनुमानों के अनुरूप प्रस्तावित लक्ष्य को हम वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लेंगे।

हमने वर्ष 2015–16 में अपना ध्यान सभी अवैध होर्डिंगों, रूफ टॉप, यूनिपोल्स को हटाने पर लगाया है। पिछले कुछ माह में 500 से अधिक अवैध वॉलरैप्स, लगभग 50 यूनिपोल को हटाने के साथ 195 वॉलरैप्स की अनुमतियों को वापस भी लिया है। विभाग जोन के साथ सहयोग करते हुए सभी अवैध विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है तथा यह कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी। हम OAP 2007 के कड़े अनुपालन के लिए कृतसंकल्प हैं।

विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से बकाया राशि की वसूली के लिये हमने विशेष प्रयास करते हुए उन्हें 140 से अधिक नोटिस जारी किये हैं। विभाग ने 1.27 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस

अभियान से प्राप्त की है। विभाग ने बकाया राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभाग ने निविदा प्रक्रिया को सुधारते हुए पहली बार खुली निविदा प्रक्रिया को अपनाया। इस प्रक्रिया के तहत 35 यूनिपोल्स का एक लॉट बनाते हुए टेंडर जारी किया गया। नयी टेन्डर प्रक्रिया से 0.92 करोड़ रुपये प्रतिमाह MLF की तुलना में हमें 60 प्रतिशत अधिक दर से 1.46 करोड़ रुपये प्रतिमाह MLF की निविदा प्राप्त हुई है। विभाग ने भविष्य में भी इसी तरह की खुली निविदा प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय किया है। इसके उपरान्त अन्य जोनों के लिये भी खुली निविदा जारी की जायेगी।

विभाग ने अन्य प्रमुख शहरों जैसे मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद नगर निगमों की विज्ञापन पॉलिसी को आधार बनाते हुए तथा OAP 2007 में तर्कसंगत सुधार करते हुए नई आउटडोर विज्ञापन नीति 2015 बनायी है जो कि स्थायी समिति की संस्तुति के लिये प्रस्तुत कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के साथ विज्ञापन की आय में हिस्सेदारी विभाग की आय का प्रमुख स्रोत हो सकता है। इसी दिशा में कार्य करते हुए विभाग डी.एम.आर.सी., नोएडा टोल ब्रिज, उत्तरी रेलवे, दिल्ली वफ्फ बोर्ड, डी.टी.सी., टिमडा, डिम्टस, डॉयल, डी.टी.आई.डी.सी. इत्यादि के साथ मिलकर आय वितरण प्रणाली को सशक्त करने हेतु प्रयासरत् हैं। इस संदर्भ में विभिन्न संस्थानों के साथ एम.ओ.यू. पर भी कार्य चल रहा है तथा डी.एम.आर.सी. के साथ हम शीघ्र ही एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।

महोदय, विज्ञापन विभाग में विभिन्न एजेंसियों द्वारा याचिकाओं के माध्यम से आय को बाधित करने का कार्य किया जाता था जिससे निगम को राजस्व की हानि होती थी। विशेष प्रयासों के द्वारा अब सभी याचिकाओं पर गंभीरता के साथ कार्य करते हुए विभाग एजेंसियों के इस कृत्य को खत्म करने में प्रयासरत् है जिससे निगम के समस्त हितों की रक्षा की जा सके। माननीय उच्च न्यायालय ने लेकोसटे (वॉलरैप) के केस में दक्षिणी निगम को damages लेने से मना किया था तथा इस याचिका को आधार बनाकर अन्य विज्ञापनदाताओं ने विज्ञापन शुल्क के रिफंड की भी मांग की थी। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका (SLP) प्रस्तुत की गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने निगम के पक्ष में याचिका स्वीकार कर ली है। इससे निगम को OAP 2007 को पूर्ण रूप से लागू करने में मदद मिलेगी, जिसका प्रभाव आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ोतरी के रूप में दिखायी देगा।

अभियांत्रिक विभाग

अभियांत्रिक विभाग निगम के अन्तर्गत आने वाली सड़कों, नालियों, स्कूलों, अस्पतालों, समुदाय भवनों आदि का निर्माण एवं उनके रख–रखाव का कार्य करता है।

अभियांत्रिक विभाग ने इस वर्ष निम्न महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया है :–

- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों में मौजूदा पथ–प्रकाश खम्बों पर लगी हुई लाईटों को एल.ई.डी. लाईट द्वारा बदलने का एम.ओ.यू. ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था मैसर्स ई.ई.एस.एल. के साथ किया गया। इसके अंतर्गत तकरीबन 2 लाख स्ट्रीट लाईटों को बदलने का प्रावधान है। अब तक लगभग 62000 स्ट्रीट लाईटों को बदला

जा चुका है। बदली गई एल.ई.डी. लाईट का ई.ई.एस.एल. द्वारा आगामी 7 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के बाद स्ट्रीट लाईट के मासिक बिजली के बिल में 53.61 प्रतिशत की कमी आयेगी जिससे 5.4 करोड़ यूनिट बिजली एवं 48. 49 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी। स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव की जांच एवं स्वचालित ऑन ऑफ के लिए सेन्ट्रल कन्ट्रोल एवं मोनिटरिंग सिस्टम का प्रावधान भी रखा गया है। इससे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण में लगभग 41 हजार 500 टन कार्बनडाईऑक्साइड कम उत्पन्न होने से वातावरण में सुधार होगा। इस योजना में होने वाला व्यय मैसर्स ई.ई.एस.एल. द्वारा किया जायेगा एवं इसका भुगतान मैसर्स ई.ई.एस.एल. को वार्षिक बिजली के बिल में आने वाली बचत से 7 वर्षों तक किस्तों में किया जायेगा।

- इस वित्तीय वर्ष में निगम के स्कूलों में 48 कक्षा कक्ष एवं 10 प्रसाधन (टॉयलेट) ब्लॉक के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया।
- कालकाजी में 100 बिस्तरों के अस्पताल के दो तलों का निर्माण कार्य पूर्ण करके इसमें ओ.पी. डी. ब्लाक नागरिकों के लिए खोल दिया गया है।
- तिलक नगर अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- फतेहपुर बेरी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का कार्य भी प्रगति पर है।
- बेरसराय में समुदाय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर नागरिकों को समर्पित कर दिया गया है।
- महरौली में पॉलीक्लीनिक का कार्य पूर्ण कर नागरिकों को समर्पित कर दिया गया है।
- स्टाफ आवास का कार्य प्रगति पर है। ककरौला में मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इसे इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण कर दिया जायेगा।
- बिजवासन रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक नागरिकों को समर्पित कर दिया जायेगा।
- आर.के. पुरम में तकनीकी प्रयोगशाला का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा।
- कालकाजी भूमिगत कार पार्किंग का निर्माण कार्य किया गया है। सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, न्यू फ्रैन्डस कालोनी एवं जंगपुरा में भूमिगत कार पार्किंग का कार्य प्रगति पर है तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अधिकतर कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे।
- इस वित्तीय वर्ष में पार्कों में 4000 बैंचों को लगाया गया है।

- ओखला औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट कंक्रीट की सड़कें एवं ड्रेनेज का कार्य किया गया और उसे नागरिकों को समर्पित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 24.50 करोड़ रुपये सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य में व्यय किये गये।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंतर्गत प्लान मद में प्राप्त अनुदान (Grant-in-Aid) की धन राशि का लगभग सभी मदों में पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है। प्लान के कुछ मदों में दिल्ली सरकार द्वारा बजट प्रावधानों में की गई कमी के कारण ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार से संशोधित बजट अनुमान 2015–16 में अधिक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गैर–योजना मद में ठेकेदारों का भुगतान समय–समय पर किया जा रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं :–

- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों जोनों में कॉलोनियों की खराब सड़कों का सुदृढ़ीकरण डेंस कारपेटिंग द्वारा किया जायेगा।
- निगम भवनों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के अतंर्गत आरंभ में **40 निगम भवनों में सौर ऊर्जा पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न करने की योजना है,** जिससे वार्षिक लगभग 3.84 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है। इस कार्य को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था सोलर एनर्जी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जायेगा। सोलर एनर्जी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया इस योजना पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी देगा। इससे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण में लगभग 295 टन कार्बनडाईऑक्साइड कम उत्पन्न होने से वातावरण में सुधार होगा।
- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ प्रत्येक जोन में दो मुख्य मार्किटों के फेसलिफटिंग/विकास कार्य करने की योजना है।
- प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र, मदनपुर खादर का निर्माण कार्य करने की योजना है।
- द्वारका में सरकारी कार्यालय के निर्माण का कार्य करने की योजना है।
- द्वारका में कुत्तों के बंध्याकरण केन्द्र का निर्माण कार्य करने की योजना है।

भवन विभाग

भारत में 'इज ऑफ डूईंग बिजनेस' के अंतर्गत निगम द्वारा भवनों के नक्शों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु संबंधित विभागों जैसे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली नगर कला आयोग, पुरातत्व विभाग, दिल्ली फायर सर्विस आदि को सम्मिलित करते हुए एक कोमन एप्लीकेशन फार्म बनाया गया है, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान से नक्शों की स्वीकृति मिल सके। भवन के नक्शों की

स्वीकृति में पारदर्शिता हेतु ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति और कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

मौजूदा बिल्डिंग बाइ–लॉज 1983 का संशोधित प्रारूप दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा तैयार किया गया, जिसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की प्रभावी सहभागिता रही है। एकीकृत बिल्डिंग बाइ–लॉज को जल्द ही केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, जिससे भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान करने में नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

निगम की ओर से हर वर्ष भवन विभाग के अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सफाई व्यवस्था का सशक्तीकरण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है :

''स्वच्छता को एक राजनीतिक औजार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सिर्फ देशभक्ति और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़ कर देखा जाना चाहिए।''

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने अधीन चारों जोनों में सफाई एवं स्वच्छता को और सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत् है एवं नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु यथा–संभव प्रयास कर रहा है।

'स्वच्छ भारत मिशन'

भारत सरकार द्वारा चलाये गये 'स्वच्छ भारत मिशन' के द्वारा सफाई व्यवस्था को बनाये रखने में नागरिकों व अन्य प्रतिनिधियों का सहयोग मिलने से दक्षिणी निगम को कूड़ा मुक्त बनाने जैसे मिशन को गति मिली है।

म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट का केरेज एवं ट्रांसपोर्टेशन

निगम ने अपने सभी जोनों की सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु विशेष योजनाओं का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत मध्य क्षेत्र से कूड़ा उठाने एवं उसके निस्तारण का कार्य आई.एल. एफ.एस. कम्पनी को दिया गया है और यह कार्य आगामी जनवरी में आरंभ होने की संभावना है।

अधिक कचरे के निपटान हेतु योजना

शहर को साफ व सुन्दर बनाने हेतु अधिक कचरे के निपटान की योजना बनायी गई है। इस योजना के उपरांत जहां पहले प्रतिदिन 2400–2500 मीट्रिक टन कूड़ा उठता था, अब वो 2900–3000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन उठ रहा है।

नये शौचालयों का निर्माण व रख–रखाव

निगम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 20 नये शौचालयों का निर्माण किया गया तथा इसमें से अधिकतर शौचालय कंवेन्शनल हैं और एक शौचालय मद्रास पैटर्न (नम्मा) पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त

सी.टी.सी. एवं 466 यूरिनल्स की मरम्मत का कार्य किया गया है।

ढलावों एवं जोनों के निरीक्षण हेतु टीम का गठन

ढलावों एवं जोनों के निरीक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की टीम का गठन किया गया। यह टीम अपनी निरीक्षण रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजती है जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था

सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समय–समय पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन जैसे साईकिल रिक्शा, व्हील बैरो, डस्टबिन, झाड़ू इत्यादि को खरीदा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि इसकी कोई कमी न हो, जिससे की सफाई व्यवस्था पर प्रभाव न पड़े।

सफाई कर्मचारियों की भर्ती

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये दक्षिणी जोन में 448 सफाई कमचारियों की भर्ती की है।

सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जाँच हेतु शिविरों का आयोजन

सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जाँच हेतु विभिन्न जोनों में 2–2 शिविर चल रहे हैं जिनमें अभी तक 13 हजार 250 सफाई कर्मचारियों की शारीरिक जांच की जा चुकी है और यह एक नियमित प्रणाली है।

भविष्य की योजनाएं–

नये कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट प्लांट की योजना

दक्षिणी दिल्ली के ताजपुर पहाड़ी में एवं पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला गांव में एक–एक कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट प्लांट लगाने की योजना है। इन प्लांटों के लगने से प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी एवं लैण्डफिल साइट का भार कम होगा।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की योजना

निगम के पास ओखला में उपलब्ध लैण्डफिल साइट जो लगभग भर चुकी है एवं इसकी जमी़नी सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 150 फुट हो चुकी है। अब इस साइट पर कूड़ा जमा करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। प्रभावी रूप से कूड़े का निस्तारण करने के लिए और लैण्डफिल साइट की आवश्यकता है। ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर 1300–1400 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन भेजा जा रहा है, जिससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए पश्चिमी एवं दक्षिणी दिल्ली में जमीन की उपलब्धता का प्रयास दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली सरकार से किया जा रहा है। जमी़न उपलब्ध होने के उपरांत इस योजना पर कार्यवाही की जायेगी।

दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में कूड़े के निष्पादन के समाधान के लिए प्रधान सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें तीनों निगमों के आयुक्त भी सदस्य हैं। यह समिति भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के प्रस्ताव के पक्ष में है।

नये शौचालयों के निर्माण की योजना

देश के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित 'स्वच्छ भारत मिशन' 2 अक्टूबर, 2014 से आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत शौचालय बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि कोई भी नागरिक खुले में शौच इत्यादि न जायें। इस मिशन के तहत् निगम की 100 महत्त्वपूर्ण

स्थानों पर शौचालय बनाने की योजना है जो कि विभिन्न डिजाइन के होंगे। इन शौचालयों में महिलाओं एवं विकलांगों को विशेष रूप से महत्त्व दिया जायेगा।

1500 साईकिल रिक्शा खरीदने की योजना

सभी क्षेत्रों में ठोस कूड़े को और बेहतर रूप से उठाने हेतु प्रथम चरण में 1500 साईकिल रिक्शा (टू बिन सिस्टम) खरीदने की योजना है। इन रिक्शाओं को निःशुल्क कूड़ा बीनने वाले कर्मियों को भी दिये जाने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र (रेगपिगर) को समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जाना है और डोर–टू–डोर क्लेक्शन को प्रोत्साहित करना तथा सूखे एवं गीले कूड़े को पृथक् करना है। इस व्यवस्था से पर्यावरण हितैषी वातावरण बनाने में भी मदद मिलेगी।

सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था

सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5000 डस्टबिन, 4 सक्शन और 4 सक्शन–कम–जेटिंग मशीन खरीदने की भी योजना है।

ओखला लैण्डफिल साईट हेतु नये उपकरणों को खरीदने की योजना

ओखला लैण्डफिल साइट हेतु इस्तेमाल होने वाली मशीन काफी पुरानी हो चुकी हैं, इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 2 बुलडोजर तथा 2 एक्सकेवेटर खरीदने की योजना है।

सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विशेष योजना

सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु दक्षिणी, पश्चिमी एवं नजफगढ़ जोनों से कूड़े के निस्तारण के कार्य हेतु टेंडर प्रक्रिया जारी है। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में आरंभ होने की संभावना है।

प्राथमिक शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 589 प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग तीन लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। बच्चों को निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप निगम के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर एवं मूलभूत सुविधाओं में सुधार का हमारा संकल्प है। हमने यह प्रयास किया है कि हमारी कोई भी शैक्षिक योजना बजटीय अभाव में बाधित न हो। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मैं आगामी वित्तीय वर्ष में भी सर्वाधिक बजटीय राशि (21 प्रतिशत) का प्रावधान प्राथमिक शिक्षा के लिए कर रहा हूँ।

अब मैं शिक्षा समिति के दिशा–निर्देशों में विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा।

- ARKनामकNGOद्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, लाजपत नगर–III में विद्यार्थियों की संख्या व शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया है। **विद्यालय में नर्सरी एवं पहली कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 9 से बढ़कर 114 होना इस अभियान की सफलता को दर्शाता है।** इसी तर्ज पर कुछ और विद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाये जाने की योजना मैं प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना में विभागीय एवं अनुबंधित शिक्षकों का भी यथा–संभव समुचित उपयोग किया जायेगा।

963 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति

इस वर्ष 927 प्राथमिक शिक्षक, 24 उर्दू शिक्षक तथा 12 विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजूकेटर) की डी.एस.एस.एस.बी. के माध्यम से नियमित पदों पर नियुक्ति की गयी है।

1200 शिक्षक अनुबंध आधार पर नियुक्त

- शिक्षा विभाग में **बच्चों को निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009** के अनुरूप शिक्षक–छात्र अनुपात को बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए विभाग ने लगभग 1200 शिक्षक अनुबंध आधार पर नियुक्त किये हैं।
- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मध्य जोन के साउथ एक्स. पार्ट–I, दक्षिणी जोन के सेक्टर–1, पुष्प विहार नं. 1, पश्चिमी जोन के सी–5, जनकपुरी तथा नज़फगढ़ जोन के डी–ब्लॉक, महावीर एन्क्लेव विद्यालय मेंSmart Classesकी स्थापना की गयी है।
- अंतर्क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता (टूर्नामेंट) में स्थान प्राप्त करने वाले 287 प्रतिभावान विद्यार्थियों को 1.33 लाख रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई।

विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 73 अध्यापकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Need)को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक का एक पद सृजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 73 अध्यापकों को विद्यालयों में अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया है।

निगम शिक्षक पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी

- निगम शिक्षक पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब अवार्ड प्राप्त शिक्षकों को 7,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार की राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
- इस वर्ष छात्र/छात्राओं को पाठ्य–पुस्तकें तथा डायरी सत्र के प्रारम्भ में ही उपलब्ध करवा दी गई हैं।

318 विद्यालय भवनों को अग्नि–शमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र

- विद्यालय भवनों में अग्नि सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सीढ़ियाँ, कक्षा में अतिरिक्त दूसरा दरवाजा एवं अन्य अग्निशमन सामग्री उपलब्ध करवायी गयी है। इसके उपरांत अभी तक लगभग 318 विद्यालय भवनों को अग्नि–शमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया है।
- लगभग 10,000 छात्रों को भारतीय संस्कृति तथा भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए **भारतभ्रमण एवम् दिल्ली दर्शन** योजना के अन्तर्गत दिल्ली एवम् देश के अन्य राज्यों में भ्रमण हेतु भेजा गया है।

- निगम के कक्षा चतुर्थ एवम् पाँचवी के मेधावी छात्रों को दी जानी वाली एकमुश्त छात्रवृत्ति राशि 500 एवं 700 को बढ़ाकर 1,000 व 1,500 रुपये करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।
- छात्रों की सुरक्षा हेतु **20 विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरे** लगाये जा चुके हैं।
- निगम सभी बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन, बीमा सुरक्षा, बालिका प्रोत्साहन राशि, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें, कापियाँ एवं डायरी, मेधावी एवं अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रदान कर रहा है।
- प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किये गये 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत प्रत्येक प्रधानाचार्य को 2,000/9,000/18,000 रुपये की राशि प्रतिमास विद्यालय में कक्षा संख्या के अनुसार उपलब्ध करायी गयी है।
- विद्यालयों में 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 124 शौचालय तथा 35 यूरिनल्स का निर्माण विभिन्न एन.जी.ओ. एवं संस्थाओं द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत किया गया है।

आगामी वर्ष की योजनाएँ–

प्रत्येक विद्यालय में Computer Aided Learning Lab

- छात्रों को कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक विद्यालय मेंComputer Aided Learning Labस्थापित करने की योजना पर हम कार्य कर रहे हैं।
- इस वर्ष कुल 48 कक्षा कक्ष एवम् 10 शौचालय निर्मित किये गये और 593 कक्षा कक्ष एवम् 84 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सभी विद्यालयों को पक्के भवनों में परिवर्तित किया जायेगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
- शिक्षा विभाग में 16Counsellorsकी नियुक्ति की जा चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विद्यालयों हेतु Counsellors विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक समस्याओं, अनुशासन संबंधी समस्याओं व अन्य भावनात्मक आवश्यकताओं का आंकलन कर उनके समग्र विकास के लिए प्रयास करेंगे।

ई–टॉयलेट्स

- सभी जोनों के एक–एक विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ई–टॉयलट का निर्माण किया जा रहा है।

स्मार्ट क्लासरूम

- मैं सभी जोनों में 5–5 स्मार्ट क्लासरूम बनाये जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

सौर ऊर्जा पैनल

- मैं 40 विद्यालयों में सौर ऊर्जा पैनल लगाये जाने का प्रस्ताव करता हूँ।
- विभाग द्वारा वार्ड एजूकेशन रजिस्टर तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में रहने वाले 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की सूचना संकलित की जा रही है।
- प्रत्येक विद्यालय में संगीत/कला/शारीरिक शिक्षा हेतु एक विशेष अध्यापक नियुक्त किये जाने की योजना है।

आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति

- विभाग द्वारा नजफगढ़ जोन के सभी विद्यालयों में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति की मशीनें लगाये जाने की योजना है। शेष तीनों मध्य, पश्चिमी एवं दक्षिणी जोनों में बायोमैट्रिक प्रणाली कार्य कर रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

अध्यक्ष महोदय, हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक नागरिक को बेहतर एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। निगम का स्वास्थ्य विभाग 3 कॉलोनी अस्पताल, 7 पॉली–क्लीनिक, 14 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 9 मोबाइल डिस्पेंसरी, 10 मातृत्व गृह, 50 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 6 हेल्थ पोस्ट, 3 सब–सेंटर, 3 मोबाइल यूनिट्स, 1 चेस्ट क्लीनिक एवं अस्पताल, 2 चेस्ट क्लीनिक, 2 पी.एच.सी., 1 यू.एच.सी. तथा 4 स्कूल हेल्थ क्लीनिक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

उपलब्धियाँ

- स्वास्थ्य व्यवस्था के सशक्तीकरण के लिए इस वर्ष हमने **'पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल' में ओ.पी.डी. सेवाओं का शुभारम्भ 18 अक्तूबर 2015 को किया।**
- मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अनधिकृत कॉलोनियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमने **चार अतिरिक्त मोबाइल डिस्पेंसरियों को 15 जून 2015 को शुरू कर दिया है।** इसके अतिरिक्त इसी वित्तीय वर्ष में 2 और मोबाइल डिस्पेंसरियों की सेवा प्रारम्भ की जायेगी।
- निगम की **चार प्रमुख डिस्पेंसरियों लाजपत नगर, महरौली, तिलक नगर और नजफगढ़ के पब्लिक हेल्थ सेंटरों पर डेंगू के टेस्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध** करायी गयी। इसके लिये मैं विधायी पक्ष का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस प्रस्ताव को स्थायी समिति में लाये।
- विभाग ने डिफेंस कॉलोनी मातृत्व केन्द्र में ऑपरेशन थियेटर की सुविधा को अप्रैल माह में पुनः शुरू कर दिया था। नवम्बर माह तक इस ऑपरेशन थियेटर में 50 ऑपरेशन किये गये। सभी मातृत्व केन्द्रों में प्रयोगशाला सेवा को उन्नत किया गया है। बिजवासन, फतेहपुरी एवं जंगपुरा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में लैब सुविधाओं को उन्नत कर जच्चा एवं बच्चा संबंधी प्रयोगशाला की सुविधा इनमें उपलब्ध करायी गयी है।

- विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में **एंटी रेबीज वैक्शीनेशन के लिए चार नये केन्द्रोंको जोड़ा है जो बदरपुर, महाराजा अग्रसेन, मुनिरका तथा बिजवासन में स्थित हैं।** इसके उपरांत निगम के 8 एंटी रेबीज वैक्शीनेशन केन्द्र हो गये हैं।

- **नेहरू नगर टी.बी. अस्पताल में डे–केयर की सुविधाएं शुरू कर दी गयी हैं** और आगामी वित्तीय वर्ष में 50 बिस्तर वाले चेस्ट अस्पताल की आंतरिक सेवाएं (Indoor Services) भी शुरू कर दी जायेंगी।

- **तुगलकाबाद में पॉली–क्लीनिक एवं जच्चा–बच्चा केन्द्र के साथ पी.यू.एच.सी. का कार्य शुरू** कर दिया गया है।

- पी.एच.सी. महरौली एवं मातृ व शिशु कल्याण केन्द्र को जोड़कर पी.यू.एच.सी. नये भवन में शुरू हो गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसको और सुदृढ़ किया जायेगा।

- दौलतपुर डिस्पेंसरी के नवनिर्मित भवन में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का कार्य शुरू हो गया है।

- मैं हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि इस वर्ष नगर निगमों के स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यमों से लगभग 22 लाख 60 हजार मरीजों का इलाज किया गया है। स्कूल **हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत लगभग 2.32 लाख छात्रों की स्वास्थ्य जाँच की गयी।** इन संस्थाओं के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा जैसे डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारियों की रोकथाम के विषय में भी जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान चलाये गये।

- पीरागढ़ी, महरौली, फतेहपुर बेरी एवं दक्षिणपुरी, ब्लॉक–5 में स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :–

मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, पीरागढ़ी	➢ परिवार नियोजन में प्रथम पुरस्कार ➢ प्रथम सर्वोत्तम पुरस्कार आशा कर्मी को ➢ प्रथम सर्वोत्तम पुरस्कार ए.एन.एम. को
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, महरौली	➢ अधिकतम कॉपर टी लगाने के लिए प्रथम पुरस्कार ➢ प्रथम सर्वोत्तम पुरस्कार आशा कर्मी को ➢ पोस्टर प्रतियोगिता के लिए द्वितीय पुरस्कार
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, फतेहपुर बेरी	➢ परिवार नियोजन में द्वितीय पुरस्कार
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र,	➢ द्वितीय सर्वोत्तम पुरस्कार आशा कर्मी को दक्षिण पुरी, ब्लॉक–5

भविष्य की योजनाएं

- निगम के 50 मातृत्व केन्द्र भवन 30–40 वर्ष पुराने हैं। इस वर्ष हम इनमें से 25 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों को विकसित करेंगे। इसके अन्तर्गत उपकरणों की कमी को दूर कर, फर्नीचर तथा लैब को सुधारा जायेगा।

- अस्पताल प्रशासन विभाग के अंतर्गत अभी तक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र व पॉली–क्लीनिक अलग–अलग यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं लेकिन अब मैं इस वर्ष यह प्रस्तावित करता हूँ कि अब ये **दोनों सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करायी जायें। यह केन्द्र प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर की रूपरेखा में सुदृढ़ किये जायेंगे जिससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जैसे ओ.पी.डी., टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं समुदाय सेवाएं एक ही छत के नीचे नागरिकों को उपलब्ध होंगी।** ये केन्द्र हैं –

क्र.	स्थान	ऑपरेटिंग यूनिट	ऑपरेटिंग यूनिट सं. (मातृ एवं शिशु (पॉली क्लीनिक) कल्याण केन्द्र)
1.	जंगपुरा	मातृत्व गृह	पॉली क्लीनिक
2.	महरौली	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	पी.एच.सी.
3.	उत्तम नगर	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र,	डिस्पेंसरी (प्रेम नगर) महिन्द्रा पार्क
4.	मुनिरका	मातृत्व गृह	पॉली क्लीनिक
5.	तुगलकाबाद	मातृत्व गृह	पॉली क्लीनिक
6.	दौलतपुर	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	डिस्पेंसरी
7.	टिगरी	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	डिस्पेंसरी स्थापित की जानी है
8.	फतेहपुर बेरी	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	पी.एच.सी.
9.	मदनपुर खादर	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	डिस्पेंसरी
10.	डिफेंस कॉलोनी	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	डिस्पेंसरी
11.	लाजपत नगर	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	कॉलोनी हॉस्पीटल
12.	उत्तम नगर पूर्व	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र,	महाराजा अग्रसेन पॉली क्लीनिक

- **केन्द्रीकृत मेडिकल स्टोर की स्थापना** :– अभी तक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, मेडिकल एवं टी.बी. के लिए अलग–अलग स्टोरो का प्रावधान था। हमने इस वर्ष इन दोनों स्टोरों को गिरी नगर में स्थानांतरित कर दिया है। आगामी वर्ष में हम इनको और सुदृढ़ करेंगे।

- डिफेंस कॉलोनी स्थित मातृत्व केन्द्र में उपलब्ध सभी सुविधाओं के अनुरूप ही बदरपुर स्थित मातृत्व केन्द्र में ऑपरेशन थियेटर की सुविधा का उन्नयन किया जायेगा।

- वित्त वर्ष 2016–17 में 4 नये एंटी–रैबीज केन्द्र, तुगलकाबाद, कालकाजी, घुम्मनहेड़ा एवं दौलतपुर में खोलना प्रस्तावित। इसके उपरांत एंटी–रैबीज केन्द्रों की संख्या 12 हो जायेगी।
- **पूर्णिमा सेठी कालकाजी स्थित नवनिर्मित अस्पताल में दंत–चिकित्सा, एक्स–रे, लैब, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र एवं डॉट्स जैसी सुविधाएं भी इस वर्ष शुरू की जायेंगी।**

जन–स्वास्थ्य विभाग

जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा कीट जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं जलजनित बीमारियों जैसे– हैजा, आंत्रशोथ व अन्य संक्रामक रोग जैसे– रैबीज, मेनिनजाइटिस, स्वाइन फ्लू इत्यादि से बचाव व इनकी रोकथाम के लिए विभिन्न नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू किया जाता है :–

- विभाग ने लगभग 1190 डी.बी.सी. कर्मचारी अनुबंध के आधार पर घरों में चेकिंग के लिए नियुक्त किये हैं। इस वर्ष 551 नियमित फील्ड वर्कर्स के अतिरिक्त 986 फील्ड वर्कर्स अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये।
- फॉगिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए **100 अतिरिक्त हैंड ऑपरेटिड फॉगिंग मशीनें व दो व्हीकल माउंटेड मशीनें खरीदी गयीं,** जिसके फलस्वरूप प्रत्येक जोन में 2 व्हीकल माउंटेड फोगिंग मशीनें तथा प्रत्येक वार्ड में चार हैंड आपरेटिड फॉगिंग मशीनें उपलब्ध हैं।
- डेंगू व चिकनगुनिया की जाँच एवं इलाज हेतु दिल्ली में 33 सेंटीनल सर्विलेंस अस्पतालों की पहचान की गयी है।
- दिनांक 1–12–2015 तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में डेंगू के 3172 केस, मलेरिया के 18 केस एवं हैजे के 12 केस रिपोर्ट हुए। इस वर्ष मेनिनजाइटिस का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है।
- पर्यावरण मैत्री उपायों हेतु 30 जलाशयों में मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने के लिए लार्वी वोरस मछली प्रयोग में लायी जा रही है।

श्मशान भूमि एवं कब्रिस्तान का रख–रखाव एवं विकास

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 30 श्मशान भूमि, 4 कब्रिस्तान, एक सीमेट्री एवं एक विद्युत शवदाह गृह कार्यरत् है। इनमें से 17 श्मशान भूमि, एक कब्रिस्तान एवं एक सीमेट्री एन.जी.ओ. द्वारा चलायी जा रही है। छोटे बच्चों को दफनाने के लिए तीन बरियल ग्राउंड भी हैं जो एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहे हैं।

पंजाबी बाग में सी.एन.जी. शवदाह गृह का निर्माण किया गया है जिसे आई.जी.एल. द्वारा सी. एन.जी. का कनेक्शन प्राप्त कर शुरू किया जायेगा। ग्रीन पार्क तथा द्वारका में भी सी.एन.जी. श्मशान शुरू करने की योजना है, जिसके लिए दिल्ली सरकार से बजट की मांग की गयी है। **यदि इस वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा इस कार्य के लिये बजट नहीं दिया जाता है तो निगम ग्रीन पार्क में अपने फंड से सी.एन.जी. शवदाहगृह का निर्माण करेगा।**

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु कम्प्यूटराइजेशन

निगम ने नागरिकों की सुविधा हेतु जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र संबंधित कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया है। सभी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र कम्प्यूटराइज्ड तरीके से ही पंजीकृत किये जा रहे हैं। निगम के क्षेत्र में स्थित 393 सरकारी व निजी अस्पतालों को जन्म एवं मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा दी गयी है।

हैल्थ ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण

विभाग द्वारा हैल्थ ट्रेड का लाइसेंस दिया जाता है। इस वर्ष विभाग हैल्थ ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण करने पर कार्य कर रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए अधिक से अधिक ट्रेड्स को ऑनलाइन लाइसेंस प्रदान करने की नीति शीघ्र ही लागू की जायेगी। इसके लिए अतिरिक्त आयुक्त (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

आयुष विभाग

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आयुष विभाग के विषय में बताना चाहूँगा–

- आयुष निदेशालय के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग में 33 औषधालय, दो पंचकर्म अस्पताल एवं एक आयुर्वेदिक मधुमेह केन्द्र कार्यरत् हैं।
- इसके अतिरिक्त यूनानी विभाग के अन्तर्गत 10 औषधालय एवं होम्योपैथिक विभाग में 1 मोबाइल डिस्पेन्सरी सहित 5 औषधालय कार्यरत् हैं।

उपलब्धियां

- विभाग की ओर से 21 जून को 'विश्व योग दिवस' के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया जिससे सैकड़ों नागरिक लाभान्वित हुए। इस शिविर में योग से होने वाले लाभों के विषय में बताया गया।
- जनकपुरी में वरिष्ठ नागरिक रीक्रिएशन भवन के प्रथम तल पर आयुर्वेदिक डायबिटिक क्लीनिक प्रारम्भ हो गया है, इसके लिए 3 नये कमरों का निर्माण भी किया जा चुका है।
- होम्योपैथी विभाग के लिए पुरानी वैन की जगह नई मोबाइल वैन लगायी जा रही है।
- गालिबपुर आयुर्वेदिक औषधालय के प्रथम तल पर नया होम्योपैथिक औषधालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
- गिरी नगर कालोनी अस्पताल में कार्यरत् एवम् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूनानी हेडक्वार्टर डिस्पेंसरी शुरू की जा रही है।
- यूनानी औषधालय, ओखला, फेज–IIके अपने नवनिर्मित भवन में कार्यरत् हो गया है।

- खज़ान बस्ती होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का पुनर्निर्माण करा दिया गया है।
- लाला लाजपत राय अस्पताल में शुरू होने वाले पंचकर्म टेक्निशियन ट्रेनिंग सेन्टर का एफिलेशन दिल्ली सरकार से प्रतीक्षारत् है।
- आयुर्वेदिक औषधालय, कापसहेड़ा में पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
- लाजपत नगर आयुर्वेदिक औषधालय भवन का पुनर्निर्माण हो चुका है।

भविष्य की योजनाएं

- बस्ती हजरत निजामुद्दीन (काली मस्जिद) में यूनानी औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।
- नांगल राय में आयुर्वेदिक औषधालय का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।
- राजा गार्डन में आयुर्वेदिक औषधालय का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।
- देवली आयुर्वेदिक औषधालय का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।
- तिलक नगर अस्पताल में आयुष सेवाएं प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त पुनर्निर्माण कार्य दिल्ली सरकार से प्लान बजट मिलने के बाद किये जा सकेंगे, प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजे जा चुके हैं।

पशु चिकित्सा सेवा

पशु चिकित्सा सेवा विभाग का कार्य गैर–पालतू पशुओं को पकड़ना, पालतू कुत्तों का पंजीकरण, कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु बंध्याकरण कार्यक्रम को चलाना, माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के अनुपालन में बंदरों को पकड़कर असोला भाटी माइंस भेजना, मरे हुए पशुओं को ठेकेदार द्वारा उठवाना, अवैध पशुवध को नियंत्रित करना तथा मीट की दुकानों, घोड़ा बग्गियों एवं डेयरियों को लाइसेंस प्रदान करना है।

गैर–पालतू कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु विभाग द्वारा गैर–सरकारी संस्थाओं की सहायता से कुल 9 केन्द्रों पर कुत्तों के बंध्याकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल, 2015 से अक्टूबर, 2015 तक कुल **15271** कुत्तों का बंध्याकरण किया गया है जोकि तीनों नगर निगमों द्वारा किये गये कुल बंध्याकरण का लगभग 70 प्रतिशत है।

विभाग द्वारा कुत्तों के बंध्याकरण एवं रैबीज के विरुद्ध टीकाकरण हेतु चारों जोनों में विशेष कैंप भी लगाये गये हैं।

गैर–पालतू कुत्तों के बंध्याकरण के कार्य को और गति प्रदान करने के लिए 10 नई डॉग वैन अगले तीन माह में विभाग को उपलब्ध हो जायेंगी।

निगम क्षेत्र में गैर–पालतू कुत्तों की संख्या की गणना हेतु विभाग द्वारा अगस्त, 2015 में निविदांए आमंत्रित की गयी थीं परंतु निविदा दाखिल करने की आखिरी तिथि तक इस कार्य के लिए किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा निविदांए नहीं डाली गईं। अब विभाग द्वारा उन एन.जी.ओ. से सम्पर्क किया जा रहा है जिन्होंने देश के अन्य निगमों जैसे– मुम्बई, बड़ौदरा, तिरूअनंतपुरम आदि में गैर–पालतू कुत्तों की संख्या की गणना हेतु एम.ओ.यू. साइन किया है जिससे दक्षिणी निगम भी उन्हीं की तर्ज पर एम.ओ.यू. कर सके।

जैसाकि सदन में चर्चा हुई थी, विभाग द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय में दाखिल शपथ–पत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश देने हेतु यह अनुरोध किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण निगम को कुत्तों के बंध्याकरण केन्द्र स्थापित करने के लिए चारों जोनों में लगभग 2000–2500 वर्गमीटर भूमि आबंटित करे।

विभाग द्वारा रेजिडेन्ट्स वेलफेयर ऐसोसिएशन, नागरिकों और सरकारी संस्थाओं से कुत्तों को एक स्थान/क्षेत्र से दूसरे स्थान/क्षेत्र पर स्थानान्तरित करने हेतु शिकायतें मिलती रहती हैं, परन्तु Animal Birth Control (Dog) Rules-2001के अनुसार कुत्तों को एक स्थान/क्षेत्र से दूसरे स्थान/क्षेत्र पर स्थानान्तरित करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए विभाग ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करने में असमर्थ होता है। इस विषय पर स्थायी समिति में हुई चर्चा के अनुपालन में विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अर्जीदाखिल की है, जिसमें इस समस्या को माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। विभाग की इस अर्जी को माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18–11–2015के आदेश में कहा है कि सभी निकायAnimal Birth Control (Dog) Rules-2001के अनुरूप ही कार्य करेंगे। मामले की अगली सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 9–3–2016 को होगी।

विभाग द्वारा अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक कुल **1622** गैर–पालतू पशुओं को पकड़ा गया है। इस वित्त वर्ष में विभाग द्वारा अवैध पशुवध के विरुद्ध की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सितम्बर माह तक कुल **15.32** लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गये हैं, **26** मीट की दुकानों को सील किया तथा **225** दुकानों का चालान भी किया गया है।

भविष्य की योजनाएं

विभाग के सतत् प्रयास के फलस्वरूप दिल्ली सरकार ने चार पशु चिकित्सालयों – बिजवासन, मुंडेला, नगंली एवं मसूदपुर में कुत्तों के बंध्याकरण केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन चार पशु चिकित्सालयों में कुत्तों के बंध्याकरण केन्द्र खुल जाने के बाद विभाग के पास कुल 13 बंध्याकरण केन्द्र उपलब्ध होंगे जो गैर–पालतू कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

गैर–पालतू कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के कार्यक्रम को और गतिशील बनाने के लिए द्वारका, सेक्टर–29 में चार बंध्याकरण केन्द्र बनाने का भी प्रस्ताव है। इन चार केन्द्रों को मिलाकर विभाग के पास कुल 17 केन्द्र होंगे, जहां पर कुत्तों के बंध्याकरण का कार्यक्रम चलाया जा सकेगा। आशा है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट आगामी वर्ष तक पूरा हो जायेगा। द्वारका में यह केन्द्र स्थापित हो जाने के उपरान्त इस केन्द्र पर प्रतिदिन लगभग 200 कुत्तों का बंध्याकरण हो सकेगा, जो निगम में कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

विभाग द्वारा बड़े पशुओं जैसे– गाय और भैंस आदि को बंद करने हेतु अभी तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पशुबंदी–गृह का प्रयोग किया जा रहा है। इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए विभाग द्वारा अपना स्वयं का पशुबंदी–गृह द्वारका, सेक्टर–29 के इसी परिसर में स्थापित करने की भी योजना है। पर्यावरण की दृष्टि से मृत कुत्ते के शरीर का, वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने हेतु विभाग द्वारा द्वारका सेक्टर–29 में ही एक शवदाह–गृह बनाने की भी योजना है।

जैसा कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव था कि निगम में **पालतू कुत्तों के ऑनलाइन पंजीकरण** की व्यवस्था की जाये, जिससे नागरिक बिना समय गंवाए घर बैठे ही अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकें। अतः इस दिशा में नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु पालतू कुत्तों के आनॅलाइन पंजीकरण के लिए भी विभाग प्रयासरत् है तथा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जो शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा।

उद्यान विभाग

निगम का उद्यान विभाग अपने अंतर्गत कुल 6518 पार्कों का रख–रखाव करता है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1869 एकड़ है।

पार्कों के लिए मालियों की नियुक्ति

विभाग अपने संसाधनों के इस्तेमाल से पार्कों में हरियाली एवं सुन्दरता बनाये रखने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत् है, जिसमें मालियों की कमी के कारण कुछ बाधाएं आ रही थीं। इसे दूर करने के लिए विभाग ने 942 माली रखने के लिए टेंडर प्रक्रिया द्वारा एजेन्सी को कार्य दे दिया है एवं वर्तमान में 288 मालियों को चारों जोनों में कार्य पर लगा दिया गया है तथा शेष बचे मालियों को जनवरी, 2016 तक पूर्णरूप से कार्य पर लगा दिया जायेगा।

P.P.P. स्कीम के तहत् पार्क

P.P.P. स्कीम के तहत् इच्छुक R.W.As.को एक एकड़ से कम क्षेत्रफल के पार्क रख–रखाव के लिए दिये जाते हैं। इसके तहत् इस वित्तीय वर्ष में अब तक 19 R.W.As.को 97 पार्क रख–रखाव हेतु दे दिये गये हैं। इस प्रकार अब तक कुल 145 R.W.As.को 947 पार्क रख–रखाव हेतु दे दिये गये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 100 पार्कों को R.W.As.को देने पर विभाग प्रयासरत् है।

वृक्षारोपण

हरित दिल्ली कार्य योजना 2015–16 के अंतर्गत विभाग को कुल एक लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया था। इसके अंतर्गत करीब 85 हजार वृक्ष लगाये जा चुके हैं तथा शेष वृक्षारोपण का कार्य मार्च, 2016 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग पार्कों में हर्बल पौधे लगाकर हर्बल कॉर्नर बनाने का कार्य भी कर रहा है।

ओपन जिम

विभाग ने अब तक कुल सात ओपेन जिम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाये थे जोकि नागरिकों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। विभाग इस वर्ष **प्रत्येक वार्ड (जहाँ पार्क उपलब्ध हैं) के पार्क में एक ओपेन जिम** लगाने जा रहा है एवं इस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

चिल्ड्रन पार्क

विभाग पार्कों में नवीनतम किस्म (फाइबर निर्मित) के झूले लगाने जा रहा है जिसके अंतर्गत **प्रत्येक वार्ड (जहाँ पार्क उपलब्ध हैं) में कम से कम एक नवीन चिल्ड्रन पार्क** बनाया जायेगा।

10 Shredder और दो Hydraulic Lift

उद्यान विभाग पार्कों से प्राप्त हरित कचरे को अपने वाहनों द्वारा SLFसाइट पर डालता है, जिससे पैसा एवं समय बर्बाद होता है। विभाग ने हरित कचरे के **in-situ** प्रबन्धन हेतु **Shredder** मशीनें खरीदने का निर्णय लिया है। यह मशीन हरित कचरे (टहनियां एवं पत्ते) को छोटे–छोटे टुकड़ों में कर देती है जिसे पार्क में हरित खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में ऐसी एक मशीन खरीदी जा चुकी है इसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। विभाग इस वर्ष ऐसी 10 और **Shredder** खरीद रहा है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वार्ड (जिनमें पार्क हैं) में एक **Shredder** लगाने की योजना है। पेड़ों की छंटाई के लिए विभाग दो Hydraulic Lift खरीदने की दिशा में कार्यरत् है।

पार्कों के लिए नये S.T.P.

पार्कों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के S.T.P. से शोधित जल को प्रयोग में लाने की परियोजना के तहत वसंत कुंज, केशोपुर एवं सरिता विहार क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नालों के पास स्थित पार्क में S.T.P. लगाने की योजना बनाई गई है एवं पायलट प्रोजेक्ट के तहत् इस वर्ष दो S.T.P. बनाये जायेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना को आगे बढ़ाते हुए लगभग **15 और S.T.P. बनाने की योजना है।**

पार्कों के लिए 2000 डस्टबिन

उद्यान विभाग अपने पार्कों को स्वच्छ रखने हेतु अग्रसर है। इसके लिए पार्कों में अच्छी किस्म के 1250 डस्टबीन लगाये गये हैं एवं आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 2000 डस्टबिन लगाने की योजना है।

पार्कों के लिए 3000 बेंच

पार्कों में नागरिकों की सुविधा हेतु विभाग अभी तक 8000 R.C.C. बैन्च लगा चुका है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 3000 अतिरिक्त R.C.C. बैन्च लगाने का कार्य किया जायेगा। बैन्चों के अतिरिक्त पार्कों में बैठने की सुविधा हेतु Garden Hut/Gajeebo, Planter Benchएवं Table Bench लगाने का कार्य माँग के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

संगठन, विधि एवं प्रशिक्षण

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के अंतर्गत सभी को सेवा में आते समय और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। निगम में इस कार्य हेतु एक नया बजट लेखा शीर्ष ए–007/1202 प्रशिक्षण के लिये प्रस्तावित किया गया था।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि निगम ने प्रशिक्षण के लिए अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

निगम में प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र अम्बेडकर स्टेडियम में स्थापित किया जा चुका है। निगम की स्थापना से लेकर अब तक लगभग 1500 कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। इस दौरान दिये गये प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रशिक्षण में इस वर्ष की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पर्यावरण प्रबंधन विभाग में 11 अधिकारियों, 8 निगम पार्षदों जिसमें पर्यावरण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी शामिल थे, को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रशिक्षण हेतु हैदराबाद भेजा गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रशिक्षित पार्षदों ने सराहा।

- 600 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।
- 75 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रबंध अथवा ई–गवर्नेंस के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।
- केन्द्रीयकृत 400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देकर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान प्रदान किया गया।
- 150 केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों के लिए कौशल एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- 20 सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता संबंधित मामलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- 150 संस्थापना लिपिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- राज्य सैनिक बोर्ड से आये 100 लिपिकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- भूटान सरकार से प्रायोजित लगभग 30 अभियांत्रिक अधिकारियों की अभियांत्रिक विभाग में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- कुछ अधिकारियों को विदेश में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।
- आई.ए.एस./दानिक्स प्रोबेशनर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि अनेक पद इस विभाग में वर्षों से खाली पड़े हैं। अतः विभाग के पदों को सामान्य पदों में शामिल करना प्रस्तावित है ताकि पदों को भरा जा सके। कर्मचारियों के पदों की सूची वर्ष 2016–17 में सभी विभागों में निहित सभी पदों की सूची यथावत् पिछले वर्ष की ही भांति तीन भागों में सदन के समक्ष उचित समायोजन के तदोपरांत प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट पदों की सूची के साथ ही दी जा रही है।

<u>ई–गवर्नेंस : बेहतर प्रशासन की ओर बढ़ते कदम</u>

ई–गवर्नेंस के माध्यम से निगम नागरिकों को विभिन्न समयबद्ध सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिसमें जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र, सूचना का अधिकार, सम्पत्ति कर फाइलिंग, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जनरल ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, पार्क बुकिंग, समुदाय भवन की बुकिंग एवं ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान प्रमुख हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमने सरलीकरण की दिशा में कई और नये कदम बढ़ाये हैं। अब मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा–

- **ऑनलाइन सामान्य व्यापार लाइसेंस का शुभारम्भ :** निगम द्वारा ऑनलाइन सामान्य व्यापार लाइसेंस (G.T.L.) का शुभारम्भ किये जाने से अब नागरिक घर बैठे ही बिना किसी परेशानी के और समय गंवाये अपना सामान्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। इससे नागरिक पारदर्शिता के साथ एक निश्चित समयावधि में लाइसेंस भी प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें किसी तरह की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ेगा। पूर्व में आवेदक को लाइसेंस के लिए 60 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब यह कार्य ऑनलाइन संभव है।

- **ई–मेल एवं एस.एम.एस. अलर्ट की सुविधा** : ई–मेल एवं एस.एम.एस. सुविधा के द्वारा व्यापारियों को उनके लाइसेंस की स्थिति की सूचना प्राप्त हो जायेगी एवं लाइसेंस की जाँच के लिए जी.डी.टी.आई. यूनिक कोड को भी लगाया गया है। अन्य नागरिक सेवा ब्यूरो में प्राप्त होने वाले आवेदनों को एस.एम.एस. प्रणाली से समायोजित किया जा रहा है, जिससे कि आवेदन से संबंधित प्रत्येक जानकारी एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा आवेदक को प्राप्त हो सके। एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा को एन.आई.सी. के एस.एम.एस. गेटवे से इंटीग्रेट किया गया है।

- निगम में ई–गवर्नेंस प्रणाली के प्रभावी इस्तेमाल के लिए **वर्चुअल आई.टी. कैडर की स्थापना का प्रस्ताव** अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वर्चुअल कैडर का निर्माण विभिन्न विभागों में उपलब्ध कर्मचारियों के द्वारा कर एक समूह एकत्रित किया जायेगा। कर्मचारियों का यह समूह विभिन्न विभागों में ई–गवर्नेंस के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने में मदद करेगा।

- निगम के विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन को त्रिभाजित किया गया है जिसमें प्रमुख हैं– सम्पत्ति कर, जन्म एवं मृत्यु, ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, वेटनरी ट्रेड लाइसेंस, हॉकिंग लाइसेंस,
  आर.टी.आई., समुदाय भवन बुकिंग एवं पार्क बुकिंग। दक्षिणी निगम के सूचना प्रौद्योगिक विभाग के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये अतिरिक्त पदों के सृजन की सिफारिश।

- ई–गवर्नेंस को लागू करने में सूचना की सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। इस संदर्भ में दक्षिणी निगम का सूचना प्रौद्योगिक विभाग अपने अधिकारियों हेतु C-DAC (संचार मंत्रालय) के साथ मिलकर निगम के अधिकारियों के लिये जागरूकता कार्यक्रम आरम्भ करेगा।

- भवन योजना के अंतर्गत दिनांक 1–4–2014 से 31–3–2015 तक निगम अधीनस्थ सभी जोनों तथा मुख्यालय में सभी श्रेणियों के 862 एवं दिनांक 1–4–2015 से 25–11–2015 तक सभी जोनों तथा मुख्यालय में सभी श्रेणियों के 516 नक्शों को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- भारत सरकार के कार्यक्रम Ease of doing Businessके तहत् दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तीनों नगर निगमों के संदर्भ में रिहायशी एवं औद्योगिक नक्शों के लिए Common Application Form को विकसित कर Single Window Clearance Systemका विकास किया है। इस Common Application Form के तहत् Delhi Urban Art Commission, Heritage Conservation Committee, Archaeological Survey of India, Chief Inspector of Factories, DMRC & DFSकी Clearance लेने के लिए आवेदक को उनके दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम भारत की Ease of doing Businessकी इंटरनेशनल रेटिंग में 12 पॉजिशन की उन्नति में अहम् कारक है।

नगर नियोजन विभाग

महोदय नगर नियोजन विभाग अपने सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प है। यह विभाग ले–आउट सेल, डेवलपमेंट प्लान सेल तथा जनरल सेल में विभाजित है। ले–आउट सेल में सभी ले–आउट प्लान निगम के एक्ट के अनुसार 312–313 में स्वीकृत किये जाते हैं। डेवलपमेंट प्लान सेल में अनाधिकृत कॉलोनियां व अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों का कार्य होता है तथा जनरल सेल में सभी नागरिक सुविधाओं, लोकल एरिया प्लान, हेरिटेज बिल्डिंग एवं मिश्रित भू उपयोग से सम्बंधित सुविधाओं को स्वीकृत किया जाता है।

उपलब्धियां

- नगर नियोजन विभाग ने सभी स्वीकृत ले–आउट प्लान, सरकुलर्स, नोटिफिकेशन ऑफिस आर्डर, हेरिटेज भवनों की सूची को नागरिकों की सुविधा के लिये आनलाइन अपलोड कर दिया है।

- अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों, शहरीकृत गाँव में भवनों के नक्शों की स्वीकृति से सम्बंधित प्रक्रिया को सरल करने के लिए यदि किसी नागरिक का प्लॉट स्वीकृत ले–आउट में दर्शाया गया है तो वह संबंधित भवन विभाग से सीधे उस नक्शे को स्वीकृत कर सकता है। नगर नियोजन विभाग के पास ऐसे नक्शों को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- लाल डोरा के गाँव में भी भवनों का नक्शा पास करने के लिये सम्बंधित नागरिक दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से लाल डोरा प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र (जिसमें 2008 के बाद सम्बंधित प्लॉट का विभाजन नहीं हुआ) लेकर अपना नक्शा सम्बंधित भवन विभाग से पास करा सकता है।

- मेहरचन्द मार्किट का रिडेवलपमेंट प्लान एवं 11 लोकल एरिया प्लान का कार्य डी.डी.ए. (टेक्निकल कमेटी) में है।

- पहले दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों की कटऑफ डेट 2007 रखी थी। अब वर्ष 2015 से दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग कॉलोनियों की सीमा रेखा दोबारा निर्धारित कर रहा है।

भविष्य की योजनाएँ

- ले–आउट स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिये ऑनलाइन स्वीकृति की सुविधा नागरिकों को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जायेगी।
- कम घनत्व वाले रिहायशी क्षेत्रों (एल.डी.आर.पी.) वाले प्लॉटों की स्वीकृति का कार्य डी.डी.ए. से ले–आउट सम्बंधित स्पष्टीकरण के बाद लागू कर दिया जायेगा, इससे निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

सामुदायिक सेवाएं

अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नागरिकों को 93 समुदाय भवनों, 18 शारीरिक केन्द्रों/व्यायामशालाओं, 1 तरणताल व वरिष्ठ नागरिकों के लिए 21 मनोरंजन केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

समुदाय सेवा विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ

- इस वित्त वर्ष 2015–16 में समुदाय सेवा विभाग द्वारा छः पुनर्निर्मित एवं दो नवनिर्मित वातानुकूलित समुदाय भवन नागरिकों को विवाह आदि समारोहों के लिए उपलब्ध करा दिये गये हैं।
- समय की मांग को देखते हुए यह भी बताना चाहूँगा कि इस वित्त वर्ष में तीन सामान्य समुदाय भवनों को वातानुकूलित समुदाय भवन में परिवर्तित कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में वातानुकूलित समुदाय भवनों की संख्या तीन थी जोकि बढ़कर अब आठ हो गयी है।
- समुदाय भवनों की बुकिंग राशि बढ़ाकर लागू कर दी गयी है तथा बुकिंग पॉलिसी को भी नया रूप दिया गया है।
- गरीब महिलाओं को सिलाई मशीनों के वितरण हेतु 2750 सिलाई मशीनों की खरीद के लिए व धोबी समाज के लिए 1160 धोबी प्रैस की खरीद के लिए रेट व एजेंसी का चयन कर लिया गया है तथा चयनित एजेंसी से मांग के अनुसार सिलाई मशीन व धोबी प्रैस सप्लाई हेतु समस्त क्षेत्रीय उपायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है।
- इस वित्त वर्ष में वर्ष 2013–14 के लिए 13 गैर–सरकारी संस्थाओं को 48.58 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि जारी कर दी गयी है।

- हरद्याल म्युनिसिपल पब्लिक लाईब्रेरी को वर्ष 2015–16 में कुल 61.75 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि जारी की गई है।

- इस वित्त वर्ष से निगम द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, वृद्ध दृष्टिहीन, विधवा, मानसिक रोगी, अपंग, तलाकशुदा महिला, किन्नर, अनाथ बच्चे आदि को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन ई. सी.एस. के द्वारा दी जा रही है। प्रत्येक वार्ड में 750 पेंशनधारियों की संख्या का प्रावधान है।

- गरीब विधवा महिला की पुत्री के विवाह हेतु 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्हें विवाह हेतु निःशुल्क समुदाय भवन भी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान यथावत् है।

- इस वर्ष गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर गांधी जयंती मेले का आयोजन किया गया।

समुदाय सेवा विभाग की भविष्य की योजनाएँ

- आगामी वर्ष 2016–17 में लगभग 7 समुदाय भवनों का पुनः निर्माण व 6 नये समुदाय भवनों का निर्माण कराकर नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दिये जाने की योजना है।

- विभाग द्वारा समुदाय भवनों में उत्कृष्ट सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाहरी एजेंसी से कार्य करवाने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था जोकि वापिस कर दिया गया। अब विभाग द्वारा पुनर्विचार कर ऐसे समुदाय भवनों, जिनमें 40 व इससे अधिक बुकिंग होती है, उनमें उत्कृष्ट सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाहरी एजेंसी से कार्य करवाने का प्रस्ताव लाने की योजना है। शेष समुदाय भवनों की व्यवस्था विभागीय स्तर पर की जायेगी।

- आगामी वित्तीय वर्ष से निगम द्वारा वृद्धावस्था पेंशन विमुक्त करना प्रस्तावित है।

- समुदाय भवनों की बुकिंग ऑनलाइन किये जाने का विचार है ताकि नागरिक बिना निगम कार्यालय आये बुकिंग कर सके।

टोल टैक्स

टोल टैक्स एकत्रित करना दिल्ली नगर निगम का वैधानिक कार्य/दायित्व है। यह कर पड़ोसी राज्यों से आने वाले निर्दिष्ट व्यवसायिक वाहनों से दिल्ली में प्रवेश करने पर दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 की धारा 113 (2)(जी) के अंतर्गत वसूला जाता है। इसे दिनांक 21–1–2000 से आरंभ किया गया था। आरंभ में इस कर को निगम कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था किंतु दिनांक 1–5–2003 के पश्चात् एकत्रीकरण के कार्य का निजीकरण कर दिया गया तथा तब से यह कार्य निजी अनुबंधित कम्पनियों द्वारा कराया जाता है।

उपलब्धियां

टोल टैक्स विभाग ने निगम की आय में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निगम को दिनांक 16–5–2008 से दिनांक 16–5–2011 की अवधि के बीच 563 करोड़ रुपये प्राप्त हुये। इसके पश्चात् दिनांक 16–5–2011 से दिनांक 16–5–2014 की अवधि में अनुबन्ध से 936 करोड़ रुपये प्राप्त हुये जो 65 प्रतिशत की टोल आय में

वृद्धि थी। वर्तमान में दिनांक 16–5–2015 से दिनांक 16–5–2018 की तीन वर्षों की अवधि के लिए 1653 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं जो पिछले (2011–14) के टोल अनुबंध से तुलना करने पर लगभग 76 प्रतिशत अधिक है।

पर्यावरण संरक्षण शुल्क (Environment Compansation Charge)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9–10–2015 के अंतर्गत न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण शुल्क (Environment Compansation Charge) की वसूली दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों से करने के आदेश दिये थे। इस संदर्भ में निगम द्वारा दिनांक 14–10–2015 को M/s. SMYR Consortium LLP को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए आदेशित किया गया था। तदोपरांत ठेकेदार M/s. SMYR Consortium LLP द्वारा दिनांक 6–11–2015 से पर्यावरण संरक्षण शुल्क (Environment Compansation Charge) की वसूली पायलट बेसिस पर शुरू कर दी।

केन्द्रीय लाइसेसिंग एवं प्रवर्तन सेल

अध्यक्ष महोदय, विभाग का मुख्य कार्य व्यापार एवं दुकानों, भण्डारों, पी.सी.ओ. बूथ, तहबाजारी, रेहड़ी, पटरी एवं तहबाजारी धारकों को व्यवसाय करने हेतु नियम बनाना, समय–समय पर नियमानुसार परिपत्र जारी करना है, जिसके लिये मुख्यालय द्वारा पॉलिसी निर्धारित की जाती है और जोनल कार्यालयों द्वारा उसका अनुपालन कराया जाता है।

वर्तमान वर्ष में पुरानी पॉलिसी के स्थान पर **सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस जारी करने की नयी ऑनलाइन प्रणाली 23 नवंबर, 2015 से प्रारम्भ की गयी है,** जिससे निगम के राजस्व में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि होने की सम्भावना है। पुरानी पॉलिसी के अनुसार वर्ष 2014–15 में लगभग 4000 ट्रेड लाइसेंस बनाने एवं नवीनीकरण कराने पर निगम को लगभग 1.45 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी।

अब विभाग द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। इसमें लाइसेंस हेतु आवश्यक कागज़ों की संख्या में कमी के साथ–साथ स्वसत्यापन को बढ़ावा देकर, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

वर्दी वितरण सेल

महोदय, हमने निगम के 30 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 14.21 करोड़ रुपये की लागत से वर्दी वितरण का कार्य किया है। वर्ष 2015–2017 में भी निगम के इन कर्मचारियों को वर्दी वितरित करने का प्रस्ताव हम निगम की संस्तुति के लिये प्रस्तुत करेंगे।

फैक्ट्री लाईसेंस विभाग

ऑनलाईन लाईसेंस जारी

निगम का फैक्ट्री लाइसेंसिग विभाग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी अधिकृत औद्योगिक इकाइयों को पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस जारी करता है। इस वित्तीय वर्ष में

ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 64 नये ऑनलाइन लाईसेंस जारी हुए हैं तथा 2607 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में अभी तक लगभग 34.50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया है, जोकि गत् वर्ष से अधिक है।

फैक्ट्री लाइसेंसिग विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत् तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दिल्ली सरकार) द्वारा प्रेषित की गई विभिन्न शिकायतों पर अनाधिकृत इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 273 चालान किये गये। 1458 अनाधिकृत इकाइयों के बिजली व पानी के कनेक्शन कटवाने हेतु संबंधित संस्था को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 10 अनाधिकृत इकाइयों को पूर्णतः सील भी कर दिया गया है।

हाउस–होल्ड योजना (जो 2011 से स्थगित थी) के अंतर्गत घरेलू उद्योगों के नये लाइसेंस व नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव निगम व स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर लिया गया है, जिसके लागू होने से निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे रिहायशी क्षेत्रों में भी विभिन्न रोज़गारोन्मुख योजनाओं के तहत् माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए बेरोजगार युवक–युवतियों को घरेलू उद्योगों एवं स्व–रोज़गार करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

भूमि एवं सम्पदा विभाग

अध्यक्ष महोदय, भूमि एवं विकास कार्यालय और सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सन् 2006 में स्थानांतरित बाजारों की सम्पत्तियों/दुकानों को मार्च 2013 में निगम द्वारा पारित एवं स्वीकृत पॉलिसी के तहत् लाइसेंस/मालिकाना हक से लीजहोल्ड तथा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने का महत्त्वपूर्ण कार्य विभाग कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत् नवम्बर, 2015 तक कुल 166 सम्पत्तियों का निपटारा किया गया है तथा फ्रीहोल्ड करने से समुचित कन्वर्जन चार्ज (मार्च, 2013 से नवम्बर, 2015 तक कुल 6.06 करोड़ रुपये) वसूले गये हैं।

राजस्व बढ़ाने के लिए इस वर्ष लाइसेंस आधारित सम्पत्तियों से बकाया लाइसेंस फीस एवं लीजहोल्ड सम्पत्तियों से बकाया ग्राउण्ड रेन्ट की राशि की वसूली का अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप बकाया लाइसेंस फीस एवं लीजहोल्ड सम्पत्तियों से बकाया ग्राउण्ड रेंट तथा फ्रीहोल्ड करने से समुचित कन्वर्जन चार्ज के मदों से अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 तक निगम को कुल 5.80 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

गत् वित्तीय वर्ष 2014–15 में अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2014 तक यह प्राप्ति 3.16 करोड़ रुपये थी। परिणामस्वरूप राजस्व में 2.64 करोड़ रुपये (83.5%) की वृद्धि हुई है।

भूमि एवं सम्पदा विभाग ने गत् वर्ष आई.पी. रजिस्टर में लिखित सभी भूमि एवं सम्पदाओं के विवरणों (जगह, क्षेत्रफल एवं उपयोग), इत्यादि का स्कैनिंग/डिजिटाइजेशन, संकलन का कार्य संपन्न कर लिया था। इस वर्ष इन विवरणों को विभागानुसार अलग–अलग करके दिल्ली सरकार के जी.एस.डी.एल. को सौंप दिया गया है।

अधिकांश निगम आवासों की दशा ठीक नहीं है। इन आवासों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2015–16 में 4.96 करोड़ रुपये की राशि से कार्य किया जा रहा है।

डी.एम.आर.सी. को मेट्रो के निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित जमीनों की मांग पूरी की जा रही है तथा साथ ही गत् वर्षों में डी.एम.आर.सी. को आवंटित अस्थायी आवंटनों को उनकी जरुरतों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मद से, निगम को 35.78 लाख रुपये की आय हुई है।

विभाग द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये कागजातों की संख्या में कमी के साथ स्वसत्यापना को बढ़ावा दिया गया है। अब सम्पूर्ण प्रक्रिया को 120 दिनों की जगह 45/60 दिनों में करने का प्रस्ताव है।

भूमि एवं विकास कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा 1485 वर्ग मीटर की जमीन आवंटन के पश्चात् निगम के द्वारा शिवालिक सोसाइटी में जनसाधारण की सुविधा हेतु कॉन्वेनिएण्ट शॉपिंग सेन्टर का निर्माण कार्य अपेक्षित है।

अक्टूबर, 2015 में पारित एवं स्वीकृत पॉलिसी के तहत् निगम द्वारा आवंटित विशाल एन्क्लेव, टैगोर गार्डन एवं शिवाजी एन्क्लेव के 1999 की पालिसी में शेष रिहायशी प्लॉटों/सम्पत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भूमि एवं सम्पदा विभाग द्वारा शीघ्र ही पॉलिसी अनुरूप किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, निगम की आय में वृद्धि अपेक्षित है।

राष्ट्रहित में, निगम द्वारा नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (नेटग्रिड), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अंधेरिया मोड़, महरौली, नई दिल्ली स्थित 22.15 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाना है। इस संदर्भ में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई 19.29 करोड़ रुपये की राशि निगम कोष में जमा कर दी गई है तथा 11 करोड़ रुपये की राशि नेटग्रिड, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है।

अंत में, मैं माननीय महापौर महोदय; अध्यक्ष, स्थायी समिति; सदन के नेता; विपक्ष के नेता तथा निगम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिनके सकारात्मक, रचनात्मक व बहुमूल्य सुझावों के कारण बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देना संभव हो पाया।

मैं प्रेस के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय–समय पर नगर निगम के द्वारा किये गये कार्यों एवं गतिविधियों को अपने प्रतिष्ठित माध्यमों के द्वारा नागरिकों तक पहुँचाया और जहाँ कहीं कोई कमी दिखाई दी, हमें सचेत करते हुए मार्गदर्शन भी किया।

मैं मुख्य लेखापाल–सह–वित्तीय सलाहकार कार्यालय, जिन्होंने बजट को वर्तमान रूप देने में, प्रेस एवं सूचना निदेशालय, जिसने बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में तथा निगम प्रेस जिन्होंने बजट प्रस्ताव के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में सभी अतिरिक्त आयुक्तों तथा विभागाध्यक्षों ने जो प्रशंसनीय योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।

मुझे निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों पर गर्व है जिन्होंने निगम के तीव्र विकास के लिये पूरे मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे विश्वास है कि उनका योगदान हमें आगे भी मिलता

रहेगा। इन भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ स्थायी समिति को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

———— जय–हिन्द! ————